नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

दिनांक 22 अक्तूबर, 2001

संख्या 28830.—हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 (1977 का 13), की धारा 53 की उप-धारा (2) के खण्ड (ड) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि के गठन तथा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1. (1) ये नियम हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण कर्मचारी भविष्य निधि नियम, 2001, कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "शिक्षु" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति, जो हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को यथा लागू स्थाई आदेशों के अनुसार एक शिक्षु है या कोई अन्य व्यक्ति जिसे हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा उसी हैसियत में नियुक्त किया जाता है और इसमें प्रशिक्षार्थी भी शामिल है;

(ख) "सक्षम अधिकारी" से अभिप्राय है, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी इन नियमों के प्रयोजन के लिए सक्षम, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण का मुख्य प्रशासक होगा;

(ग) "बच्चों" से अभिप्राय है, वैध बच्चे तथा इसमें दत्तक बच्चे भी शामिल हैं, यदि प्राधिकरण की सन्तुष्टि हो जाती है कि सदस्य का स्वीय विधि के अधीन बच्चे को गोद लेना वैध रूप से मान्य है;

(घ) "निरन्तर सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के अधीन की गई अविरत सेवा और इसमें वह सेवा भी शामिल है, जो रोजगार के दौरान आई बीमारी तथा दुर्घटना, प्राधिकृत अवकाश, हड़ताल जो गैर-कानूनी न हो या कर्मचारियों के दोष न होने के कारण कार्य में कोई विराम आया हो;

टिप्पण :—रोजगार के दौरान बीमारी या दुर्घटना के कारण आया व्यवधान, इस प्रयोजन के लिए हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा पदनामित किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित होगा।

(ङ) "उपलब्धियों" से अभिप्राय है तथा इसमें शामिल है मूल मजदूरी, वेतन तथा महंगाई भत्ता;

(च) "परिवार" से अभिप्राय है —

(क) पत्नी;

(ख) पति;

(ग) अवयस्क पुत्र;

(घ) अविवाहित अवयस्क पुत्री तथा सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व विधिक रूप से अवयस्क दत्तक पुत्र अथवा पुत्री;

(ङ) पुनर्विवाह अथवा मृत्यु की तिथि जो भी पहले हो, विधवा/विधुर;

(च) पुत्र/अविवाहित पुत्री जब तक कि वह पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता/लेती या जीविका अपार्जन शुरु करने तक, जो भी पहले हो; और

(छ) वैध रूप से पृथक पत्नी/पति।

व्याख्या :—"बच्चों" में शामिल है कर्मचारी की मृत्यु के बाद पैदा हुआ कोई बच्चा।

(छ) "वित्त वर्ष" से अभिप्राय है, अप्रैल के प्रथम दिन से आरम्भ होने वाला तथा अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष;

(ज) "विदेश सेवा" से अभिप्राय है, वह सेवा जिसके सम्बन्ध में हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण का कोई कर्मचारी हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण की स्वीकृति से किसी अन्य नियोक्ता से अपना वेतन तथा अन्य उपलब्धियां प्राप्त करता है;

(झ) "प्ररूप" से अभिप्राय है इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप;

(ञ) "मास" से अभिप्राय है, कलैण्डर मास;

(ट) ''नामजद या ''नामजदों'' से अभिप्राय है,

(i) परिवार सहित किसी कर्मचारी के मामले में, परिवारों के सदस्यों में से कर्मचारी द्वारा लिखित रूप में नामजद या व्यक्ति/व्यक्तियों।

(ii) परिवार रहित किसी सदस्य के मामले में, निधि में से उसे देय संचयन के निकलवाने से पूर्व सदस्य की मृत्यु की दशा में, सदस्य की निधि में से भुगतान योग्य राशि प्राप्त करने के लिए इन नियमों के अनुसरण में सदस्य द्वारा लिखित रूप में नामजद कोई व्यक्ति या व्यक्तियों

(ठ) ''सेवा'' से अभिप्राय है, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण की सेवा में प्रवेश की तिथि से अभिदाता की सेवा;

(ड) यहां प्रयुक्त किए गए किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम 19) अथवा उसके अधीन बनाई स्कीम तथा हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 (1977 का 13) में दिए गए हैं।

सामान्य निधि

3. इन नियमों के अनुसार हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण की सभी इकाईयों/स्थापना के लिए एक ही भविष्य निधि होगी।

निधि में शामिल हकदार तथा अपेक्षित कर्मचारी वर्ग

4. (1) निम्नलिखित को छोड़कर, स्थापना के कार्य के सम्बन्ध में नियोजित प्रत्येक कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), के उपबन्धों तथा समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण की सेवा में प्रवेश के प्रथम दिन से निधि का सदस्य बनने के हकदार होगा और उससे सदस्य बनने की अपेक्षा की जायेगी :—

(i) राज्य तथा केन्द्र सरकार के विभागों या हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के साथ या विदेश सेवा शर्त या लोन पर कार्य करने वाले किसी अन्य संगठन के कार्मिक;

(ii) हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा, पुनः नियोजित किए गए राज्य और केन्द्र सरकार के विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पेंशनभोगी और अधिवार्षिता प्राप्त व्यक्ति; तथा

(2) ऐसा प्रत्येक कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), के अन्तर्गत पहले ही केन्द्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम के अधीन उक्त अधिनियम के अन्तर्गत छूट प्राप्त स्कीम या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अन्तर्गत छूट प्राप्त अन्य किसी भविष्य निधि का सदस्य रहा है, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण में कार्यग्रहण करने की तिथि से निधि का सदस्य बनने का हकदार होगा और उससे निधि का सदस्य बनने की अपेक्षा की जायेगी :

परन्तु कि —

(i) कर्मचारी की पिछली सदस्यता के संबंध में उसके खाते की संचयन भविष्य-निधि राशि निधि में से अन्तरित कर दी जाती है;

(ii) ऐसे अन्तरण की दशा में इस प्रकार प्राप्त राशि, इन नियमों द्वारा शासित होगी और न ही हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण अथवा न ही निधि का जो भी हो किसी दायित्व के अधीन होगा;

(iii) सदस्य द्वारा अन्तरित राशि में से लिये गये सभी ऋण और निकलवाई गई राशि के ब्यौरे के साथ की गई या की जाने वाली वसूली के ब्यौरे, पिछली भविष्य निधि के अन्तरण के साथ इस निधि में भेज दिये गये हैं; तथा

(iv) निधि से प्रीमियम आदि के फलस्वरूप की अदायगी के लिए सुपुर्द किए गए किसी बीमा पालिसी आदि के ब्यौरे के अन्तरण के साथ ही भेज दिए गए हैं।

(3) उपर्युक्त उप-नियम (2) के परन्तुक के खण्ड (i), (ii), (iii) तथा (iv) में निर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण अपने विवेक अनुसार आपवादिक मामलों में कारण का अभिलिखित करते हुए किसी भी कर्मचारी को उसकी नियुक्ति की तिथि से निधि का सदस्य बनने की अनुमति दे सकता है लेकिन ऐसे कर्मचारी के सम्बन्ध में, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण का अंशदान उसकी किसी भविष्य निधि की पिछली सदस्यता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की देयता को स्वीकार न करते हुए हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण में उसकी नियुक्ति की तिथि से प्रारम्भ हो।

(4) उपर्युक्त उप-नियम (2) के अधीन किसी भविष्य निधि राशि के अन्तरण के मामले में किसी सदस्य द्वारा निकलवाई कई राशि अथवा लिया गया ऋण सदस्य के वेतन, महंगाई भत्ता, बोनस तथा अन्य देयताओं आदि में से ऐसी रीति में जो हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा निर्णीत की जाए, वसूल किया जाएगा।

(5) उपर्युक्त उप नियम (2) के अधीन अन्तरित किसी संचयन भविष्य निधि के मामले में, सदस्य इन नियमों के अनुसरण में अपनी जीवन बीमा पालिसी, यदि कोई हो, को अपनी पिछली भविष्य निधि स्कीम के समनुदेशित करने के लिए इस निधि को पुनः समनुदेशित करेगा।

आवेदन प्ररूप

5. (1) कोई कर्मचारी जो निधि का सदस्य बनेगा वह प्ररूप 'क' में भविष्य निधि लेखा संख्या के लिए आवेदन करेगा।

(2) इन नियमों द्वारा यथा अपेक्षित संचयन भविष्य निधि के अन्तरण के लिए कोई आवेदन पत्र प्ररूप 'ख' पर दिया जायेगा।

सदस्यता की निरन्तरता

6. (1) निधि का कोई सदस्य तब तक निधि का सदस्य बना रहेगा और उसे सदस्य के रूप में माना जाएगा जब तक वह, इन नियमों के अनुसार, निधि में उसके खाते में जमा कुल भुगतान योग्य राशि को निकाल नहीं लेता।

(2) निधि में से किसी सदस्य को राशि निकलवाने के मामले में, उसकी सदस्यता उस तिथि से समाप्त हो गई समझी जायेगी, को सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे की तिथि की ओर ध्यान न देते हुए उसकी अदायगी प्राधिकृत कर दी जाती है।

प्रतिनियुक्ति पर विदेश सेवा

7. यदि कोई सदस्य, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण अथवा हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण की सहमति से चाहे भारत या विदेश में, विदेश सेवा में स्थानान्तरित या प्रतिनियुक्त किया जाता है, वह नियमों के अनुसार उसी प्रकार इस निधि का सदस्य बना रहेगा मानो उसे इस प्रकार स्थानान्तरित या प्रतिनियुक्त नहीं किया गया था और स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्त की ऐसी अवधि को इन नियमों के प्रयोजन के लिए हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के अधीन की गई सेवा के रूप में गिनी जायेगी।

सदस्य और हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य अंशदान

8. (1) स्कीम के अधीन नियोक्ता द्वारा देय अंशदान की दर, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19), और समय-समय पर यथा संशोधित उपबन्ध के अनुसार होगी।

(2) स्कीम के अधीन कर्मचारी द्वारा देय अंशदान ऐसे कर्मचारी के सम्बन्ध में नियोक्ता द्वारा देय अंशदान के बराबर होगा :

परन्तु किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में जिसको स्कीम लागू होती है, उसके द्वारा देय अंशदान, यदि वह ऐसा चाहता है तो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), में उपबन्ध के अनुसार, देय दर से अधिक हो सकता है, इस शर्त के अध्यधीन कि नियोक्ता, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), के अधीन उसके देय अंशदान से अधिक अंशदान देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

(3) जब कोई सदस्य विदेश सेवा में है और अपना वेतन विदेशी नियोक्ता से प्राप्त करता है, तो हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण और/या विदेशी नियोक्ता और/या सदस्य के बीच सहमत प्रतिनियुक्त की निबन्धन तथा शर्तों के होते हुए भी, सदस्य की जिम्मेवारी होगी कि वह अपना अंशदान और विदेशी नियोक्ता का अंशदान सक्षम प्राधिकारी को भेजे,

परन्तु सक्षम प्राधिकारी यथा उपरोक्त सदस्य के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विदेशी नियोक्ता से सीधे विप्रेषण स्वीकार कर सकता है।

परन्तु यह विदेशी नियोक्ता द्वारा देय अंशदान के सम्बन्ध में, चूक के मामले में, अंशदान, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध निकटतम अवसर पर सदस्यों, वेतन तथा बोनस आदि में से वसूली योग्य होगा।

(4) हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण, प्रत्येक मजदूरी कालावधि के पन्द्रह दिन के भीतर, कर्मचारी के अंशदान के हिस्से सहित निधि में अंशदान का अपना हिस्सा जमा करेगा।

(5) सदस्य के लिए उसकी छुट्टी की अवधि के दौरान हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण का अंशदान, उसकी छुट्टी वेतन और महंगाई भत्ता पर आधारित होगा और बिना वेतन छुट्टी या अनुपस्थिति की किसी अवधि के लिये हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा कोई अंशदान देय नहीं होगा।

सदस्य द्वारा स्वैच्छिक अंशदान

9. (1) अपने विकल्प पर सदस्य को अनिवार्य अंशदान के अतिरिक्त, निधि में पूर्ण रुपयों में एक नियम राशि स्वैच्छा से अभिदाय करने की अनुमति दी जायेगी और सक्षम प्राधिकारी को, उपर्युक्त राशि की कटौती करने तथा निधि में उसके लेखे में जमा करवाने के लिये अनुरोध इस शर्त के अधीन रहते हुए कर सकता है कि नियोक्ता, इन नियमों के अधीन उसके देय अंशदान से अधिक तथा उपर्युक्त उस अंशदान को अदा करने के लिये बाध्य नहीं होगा।

(2) स्वैच्छिक अंशदान करने और अंशदान की दर के सम्बन्ध में विकल्प तब तक पूरे समय यही रहेगा, जब तक कि सदस्य अंशदान की दर में परिवर्तन करने के लिये एक मास का नोटिस नहीं दे देता बशर्ते कि ऐसे परिवर्तन की अनुमति वित्त वर्ष के दौरान केवल एक बार मार्च के महीने में ही दी जायेगी।

o

(3) स्वैच्छिक अंशदान पर हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण की ओर से कोई अंशदान प्राप्त नहीं किया जायेगा किन्तु वर्तमान दर पर केवल ब्याज प्राप्त करने की अनुमति दी जायेगी।

निधि में जमा

10. निधि में निम्नलिखित शामिल होंगे —

(क) इन नियमों में यथा उपबन्धित सदस्यों द्वारा अपने वेतन, मजदूरी, अन्य उपलब्धियां इत्यादि में से किये गये अंशदान;

(ख) इन नियमों में यथा उपबन्धित हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा अंशदान;

(ग) कोई ब्याज, लाभ तथा लाभांश, जो निधि के धन के, समय-समय पर किये जाने वाले निवेश से उत्पन्न होता है;

(घ) अन्य भविष्य निधियों में से अन्तरित कोई बकाया, जहां इन नियमों द्वारा ऐसे अन्तरणों की अनुमति दी जाती है;

(ङ) इन नियमों के अधीन निधि में विनियोजित कोई राशियां;

(च) इन नियमों के अधीन जब्त किये गये लेखों में से अथवा निधि के किसी अन्य लेखे में से अन्तरित कोई राशियां।

लेखा शीर्ष

11. निधि की पुस्तकों मे निम्नलिखित लेखे, अन्य बातों के साथ रखे जायेंगे :—

(क) सदस्य का 'व्यक्तिगत लेखा' जिसमें निम्नलिखित दर्शाया जाएगा—

(i) इन नियमों के अनुसार सदस्य का अंशदान;

(ii) इन नियमों के अनुसार हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण का अंशदान;

(iii) निवेशों पर ब्याज;

(iv) निकलवाई गई तथा ऋण; तथा

(v) निकलवाई गई राशि तथा ऋणों पर ब्याज।

(ख) "राजस्व लेखा" जिसमें इन नियमों के अनुसार निवेशों, किराया, वास्तव में प्राप्त की गई अन्य आय तथा प्रति वर्ष 31 मार्च को प्रोद्भूत निवल लाभ से ब्याज के कारण जमा तथा किसी प्रकार की हुई हानि के कारण विकलन उचित प्रभारों अथवा खर्चों को दर्शाया गया है।

(ग) इन नियमों के अनुसार निधि से जब्त हुई राशि को दर्शाने वाला "जब्त लेखा"।

(घ) निधि में किए गए निवेशों की विशिष्टता को दर्शाने वाला "निवेश लेखा"।

(ङ) सदस्यों के अदावाकृत निक्षेप को दर्शाने वाला अदावाकृत "निक्षेप लेखा"।

(च) कोई अन्य लेखा जिसे सक्षम प्राधिकारी, निधि के कार्य सम्पादन के सही प्रदर्शन के लिए खोलने का निर्णय करे।

निधि के धन की बैंकिंग तथा निवेश

12. (1) सक्षम प्राधिकारी निधि की ओर से उसके द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि जिसकी तत्काल आवश्यक्ता नहीं, को समय-समय पर, डाक घर, बचत खाता में अथवा भारतीय स्टेट बैंक में अथवा अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या बैंकों में अथवा उसके द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी बैंक में इस प्रयोजन के लिए खोले गये खाते में जमा करवाया जाएगा। बैंकों में जमा धनराशि, समय-समय पर निधि की आवश्यक्ता अनुसार बैंक में चालू खातों में, बचत बैंक खातों में, काल बैंक खातों में, निश्चित अवधि जमा खातों में अथवा अनुमोदित बैंकों द्वारा लाभप्रद अवधि जमा खातों में रहेगी।

(2) ऐसे खातों में जमा समस्त धनराशि का उपयोग इन नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(3) निधि की धनराशि जो निधि के प्रयोजन के लिए तत्काल अपेक्षित नहीं है, इन नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निवेश अविलम्ब किया जाएगा।

निधियों से राशि का निकालना

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निधि के प्रयोजन के लिए यथा अपेक्षित ऐसी राशि या राशि को निधि में से निकालने के लिए समय-समय पर प्राधिकृत कर सकता है।

लेखा-परीक्षा

14. (1) हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण, चार्टर्ड लेखाकार अथवा व्यवसाय में चार्टर्ड लेखाकारों की किसी फर्म को नियुक्त करेगा और प्रत्येक वर्ष निधि के लेखों की लेखा परीक्षा करवाएगा।

(2) निधियों के ऐसे लेखा परीक्षाओं की लागत को हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा।

(3) "नियोक्ता, भविष्य निधि के लेखों को केन्द्रीय सरकार, द्वारा समय-समय पर यथा निदेशित ऐसी रीति में सुरक्षित रखेगा और इसकी विवरणी प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त को प्रस्तुत करेगा"।

(4) नियोक्ता स्थापना की भविष्य निधि से सम्बन्धित ऐसे लेखे जिसमें उस द्वारा यथा अपेक्षित लेखा की वार्षिक लेखा परीक्षित विवरणी शामिल होगी, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त को भेजी जायेगी।

निधि की वार्षिक रिपोर्ट

15. हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की एक प्रति के साथ पूर्व वर्ष के दौरान निधि के प्रशासन की एक रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम तिथि से तैयार की जायेगी और उसे सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

सदस्यों के लिए अंशदान पर ब्याज

16. प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के अनुसार निधि का लेखा बन्द किया जाएगा और सदस्यों के लेखों में ब्याज की दर निम्न प्रकार से जमा की जाएगी :—

(1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक सदस्य के लेखे में ऐसी दर पर ब्याज जमा किया जाएगा जैसा कि प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त द्वारा समय-समय पर अपने अंशदाताओं को अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(2) (क) ब्याज, सदस्यों के लेखों में शेष मासिक दर के आधार पर प्रत्येक वर्ष की अन्तिम तिथि से निम्न रीति से जमा किया जाएगा :—

(i) गत वर्ष के अन्तिम दिन को सदस्य के नाम जमा राशि पर बारह मास के लिए, जिसमें से चालू वर्ष के दौरान निकाली गई कोई राशि को कम कर लिया जाएगा।

(ii) चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशि पर चालू वर्ष के आरम्भ से लेकर राशि निकालने से पूर्व के मास के अन्तिम दिन तक का ब्याज घटा कर;

(iii) गत वर्ष के अन्तिम दिन के पश्चात् सदस्यों के लेखों में जमा सभी राशियों पर ब्याज जमा राशि के आगामी मास के प्रथम दिन से चालू वर्ष के अन्तिम दिन तक का ब्याज घटा कर;

(iv) ब्याज की मूल राशि को निकटतम पूरे रूपये में पुर्णांकित कर दिया जाएगा (पचास पैसे को अगले रुपये में गिना जाएगा)।

(ख) ब्याज की वापसी के लिए दावे की दशा में, सम्बद्ध दावेदार से दावे की प्राप्ति की तिथि को ध्यान दिये बिना पूर्ववर्ती तिथि जिसको अन्तिम भुगतान प्राधिकृत है के मास की समाप्ति के लिए भुगतान योग्य होगा :

परन्तु ब्याज चालू मास तक तथा इसके लिए जो चालू मास की समाप्ति के बाद वास्तविक भुगतान सहित विशेष मास के पचीसवें दिन को या इसके बाद प्राधिकृत से दावों पर भुगतान योग्य होगा :

परन्तु यह और कि खंडित प्रचलन अवधि के लिए वापसी के दावों पर अनुज्ञात की जाने वाली ब्याज की दर वही होगी, जो उस वित्त वर्ष के लिए निर्धारित की जाती है, जिसमें वापसी प्राधिकृत है।

प्रत्येक सदस्य का लेखा प्रस्तुत करना

17. सक्षम प्राधिकारी, वित्त वर्ष की समाप्ति पर, यथासंभव शीघ्र प्रत्येक सदस्य को हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के अंशदान तथा सदस्यों के अंशदान के सम्बन्ध में तुलनपत्र की तिथि को निधि की पुस्तक में उसके जमा खाते में बकाया लेखों की विवरणी पृथक वर्ष के आरम्भिक बकाया को दर्शाते हुए देगा। पृथक रूप से उस पर अर्जित ब्याज सहित वर्ष के दौरान हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण तथा सदस्य द्वारा, अंशदान, लिए गए ऋण तथा की गई कटौतियों तथा वर्ष के अन्त में इति शेष के विवरण/ऐसे विवरण ऐसे रूप में स्वीकृत किए जाएंगे तथा सदस्यों पर बाध्यकर होंगे सिवाए इसके कि यदि विवरण में कोई स्पष्ट गलती दिखाई देती है और विवरण की प्राप्ति के छः मास के भीतर लिखित में सक्षम प्राधिकारी को सूचित की जाती है।

नामांकन

18. (1) प्रत्येक सदस्य, उसके खाते में जमा राशि देय हो जाती है, से पूर्व या जहां राशि भुगतान किए जाने से पूर्व देय हो जाती है, उसकी

मृत्यु की दशा में, निधि में उसके खाते में जमा राशि प्राप्त करने का अधिकार देते हुए प्ररूप 'ग' में घोषणा तथा नामांकन करेगा।

(2) कोई सदस्य अपने नामांकन पत्र में अपने स्वयं विवेक से निधि में उसके नाम जमा राशि अपने नामांकित व्यक्तियों में बांट सकता है।

(3) यदि सदस्य द्वारा नामांकन पत्र भरते समय उसका परिवार है तो नामांकन उसके परिवार से सम्बन्धित एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में किया जाएगा। ऐसे सदस्य द्वारा किया गया कोई नामांकन जो उसके परिवार से सम्बन्धित किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया गया है अमान्य समझा जाएगा।

(4) यदि नामांकन करते समय सदस्य का कोई परिवार नही है तो नामांकन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकता है लेकिन उसके पश्चात् सदस्य का अपना परिवार बन जाता है ऐसा नामांकन तुरन्त अमान्य समझा जाएगा और सदस्य को अपने परिवार से सम्बन्धित किसी एक अथवा अधिक सदस्यों के पक्ष में एक नया नामांकन करना होगा।

(5) जहां नामांकन पूर्णरूप से या आंशिक रूप से किसी अव्यस्क के पक्ष में है, इस नियम के प्रयोजन के लिए अव्यस्क नामांकित के रूप में सदस्य, नियम-2 के खण्ड (च) में यथा परिभाषित अपने परिवार के किसी व्यस्क व्यक्ति को अव्यस्क अभिभावक नियुक्त कर सकता है और यदि नामांकित और ऐसे नियुक्त अभिभावक की सदस्य से पहले मृत्यु हो जाने के कारण लेकिन जहां परिवार में ऐसा कोई व्यस्क व्यक्ति नहीं है तो वहां सदस्य अपने विवेक से अन्य किसी व्यक्ति को नामांकित के अभिभावक के रूप में नियुक्त कर सकता है।

(6) उप-नियम (1) के अधीन किया गया कोई नामांकन सदस्य द्वारा, इस प्रकार किए जाने के अपने आशय का लिखित नोटिस देने के पश्चात् किसी भी समय परिवर्तित किया जा सकता है यदि नामजद व्यक्ति की सदस्य से पहले मृत्यु हो जाती है तो नामजद व्यक्ति के सभी हित उसी सदस्य के पास वापस हो जायेंगे, जो ऐसे हित के सम्बन्ध में नया नामांकन कर सकता है।

(7) कोई नामांकन अथवा उसका संशोधन उस सीमा तक प्रभावी होगा कि ये उस तिथि को वैध है, जिसको यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाता है।

(8) कोई भी नामांकन सदस्य की मृत्यु के पश्चात् पंजीकरण के लिये स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(9) सदस्य नामांकन में निम्नलिखित व्यवस्था कर सकता है—

(i) कि सदस्य की मृत्यु से पूर्व विनिर्दिष्ट नाम निर्देशिती की दशा में उस नाम निर्देशिती को प्रदान किया गया अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के पास ऐसे अनुपालन में चला जायेगा, जैसाकि नामांकनों में विनिर्दिष्ट किया गया है, और

(ii) कि इसमें विनिर्दिष्ट आकस्मिक घटना होने पर नामांकन अवैध हो जायेगा; किन्तु ऐसी आकस्मिकताओं के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति के लिये सदस्य वैकल्पिक नामित व्यक्ति या व्यक्तियों की व्यवस्था करेगा।

(10) नामांकन में सदस्य के हस्ताक्षर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा साक्ष्यांकित किये जायेंगे।

(11) नामांकन, सदस्य के परामर्श के अधीन पुस्तकों में पंजीकृत किये जायेंगे।

बीमा पालिसियों की अदायगी के लिए निधि में से राशि निकलवाना

19. (1) जहां कोई सदस्य चाहता है कि उसके अपने जीवन के लिए उस द्वारा ली गई जीवन बीमा की पालिसी पर देय प्रीमियम उसके अपने भविष्य निधि लेखे से वित्त घोषित होनी चाहिए तो आवेदन प्ररूप 'घ' पर कर सकता है।

(2) ऐसे आवेदन के प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी सदस्य की ओर से पालिसी पर देय प्रीमियम के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम को अदायगी कर सकता है :

परन्तु तब तक ऐसी कोई अदायगी नहीं की जाएगी जब तक कि प्रीमियम वार्षिक भुगतान योग्य न हो।

(3) उप-नियम (2) के अधीन किया गया कोई भुगतान निधि में उसके जमा के बकाया उस पर ब्याज सहित सदस्य के अपने अंशदान में से किया जाएगा तथा उसमें जमा किया जाएगा।

(4) उप-नियम (2) के अधीन कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रीमियम भुगतान के लिए सदस्य का अपने भविष्य निधि लेखे में अपना अंशदान ब्याज सहित पर्याप्त न हो और यदि भुगतान प्रथम प्रीमियम पर किया जाता है तो दो वर्ष के प्रीमियम भुगतान करने के लिए अंशदान में पर्याप्त राशि होनी चाहिए;

(5) किसी पालिसी में तब तक ऐसा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा जब तक कि यह सदस्य द्वारा विधिक रूप में सक्षम प्राधिकारी को समनुदेशित न हो;

(6) सक्षम प्राधिकारी, विद्यमान पालिसियों के सम्बन्ध में भुगतान करने से पहले जीवन बीमा निगम को पत्र लिखकर अपनी संतुष्टि करेगा कि पालिसी का कोई पूर्व समनुदेशन विद्यमान तो नहीं है और पालिसी सभी ऋण भारों से मुक्त है;

(7) कोई भी धर्मदाय पालिसी या विवाह धर्मदाय पालिसी निधि में से वित्त घोषित नहीं की जाएगी, यदि सदस्य के 55 वर्ष की आयु प्राप्त

करने से पूर्व ऐसी पालिसी पूर्ण या आंशिक रूप में भुगतान के लिये देय बन जाती है।

पालिसी को समादत्त पालिसी में बदलना और विलम्ब शुल्क अदायगी इत्यादि का भुगतान

20. जहां सदस्य की जीवन बीमा पालिसी उसके भविष्य निधि लेखे से वित्त घोषित की जाती है तो सक्षम प्राधिकारी—

(क) बीमा पालिसी को समादत पालिसी में बदल सकता है, यदि उसके भविष्य निधि लेखे में उसके अंशदान में जमा राशि, किसी प्रीमियम के भुगतान के लिए अपर्याप्त हो जाती है;

(ख) यदि कोई प्रीमियम जीवन बीमा निगम के सक्षम प्राधिकारी को देरी से उसे भेजने के कारण से या किसी अन्य कारण से जिसके लिए सदस्य अथवा उसका नियोक्ता उत्तरदायी है, दिया नहीं जाता तो देरी शुल्क तथा ब्याज उसके भविष्य निधि में सदस्य के अंशदान से काटा जायेगा।

निधि को पालिसियों का समानुदेशन

21. (1) पालिसी को नियम 20 के अधीन प्रथम भुगतान के छः मास के भीतर पृष्ठांकित करते हुए सक्षम प्राधिकारी को अभ्यार्पित कर दिया जायेगा तथा सक्षम प्राधिकारी को सौंप दी जाएगी।

(2) जीवन बीमा निगम के सदस्य द्वारा पालिसी की सुपुर्दगी का नोटिस दिया जायेगा और निगम द्वारा उक्त नोटिस की पावती, पालिसी सुपुर्दगी की तिथि के तीन मास के भीतर सक्षम प्राधिकारी को भेज दी जाएगी।

(3) सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना पालिसी की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और न ही पालिसी को किसी अन्य पालिसी के साथ बदला जाएगा, जिसे परिवर्तन अथवा नई पालिसी के सभी ब्यौरे उन द्वारा, ऐसे प्ररूप में, जो विनिर्दिष्ट करें, में भेजे जाएंगे।

(4) यदि उप-नियम (1) के अधीन पालिसी यथापेक्षित अभ्यार्पित/सुपुर्द नहीं की जाती है या सक्षम प्राधिकारी से अन्यथा किसी को भी अभ्यार्पित कर दी जाती है, या प्रभारित की जाती है अथवा ऋणग्रस्त की जाती है अथवा समाप्त हो जाती है, ऐसी पालिसी के सम्बन्ध में निधि में से भुगतान की गई कोई राशि, तथा इन नियमों में उपबन्धित दर पर उस राशि पर ब्याज सहित सदस्य द्वारा निधि में तुरन्त वापिस जमा करवाई जाएगी। चूक की स्थिति में, नियोक्ता ऐसे निदेशों की प्राप्ति पर जो इस निमित्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाए सदस्य से राशि एक मुश्त अथवा किश्तों में काट ली जाएगी और निधि में ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति में जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, भुगतान कर दी जाएगी। इस प्रकार वापिस की गई या वसूल की गई राशि निधि में सदस्य के लेखे में जमा करवा दी जाएगी।

निधि से की गई अदायगियों के विरूद्ध समाज्जित की जाने वाली पालिसी पर बोनस

22. जब तक पालिसी सक्षम प्राधिकारी की सुपुर्दगी में रहती है, उस पर उपचित किसी प्रकार का बोनस सक्षम प्राधिकारी द्वारा निकाला जा सकता है और सदस्य की ओर से किए गए भुगतानों के विरूद्ध इसे समाज्जित कर दिया जाएगा।

पालिसियों की पुनः सुपुर्दगी

23. (1) जहां सदस्य के खाते से बकाया राशि को निकाल लिया जाता है अथवा जब सदस्य, सक्षम प्राधिकारी द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम की राशि को उस पर ब्याज सहित पुनः भुगतान करता, पुनः अन्यार्पण के हस्ताक्षरित नोटिस सहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जीवन बीमा निगम को सम्बोधित करते हुए पालिसी पर पुष्ठांकन करते हुए, पालिसी सदस्य को दे दी जाएगी,

(2) उप-नियम (1) के अधीन पालिसी पुनः सुपुर्दगी से पूर्व यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती है, सक्षम प्राधिकारी पालिसी पर पुष्ठांकन करते हुए सदस्य के नामजद व्यक्ति को पुनः सुपुर्द करेगा यदि वैध नामांकन बना रहता है और यदि कोई ऐसा नामजद नहीं है तो ऐसा व्यक्ति जोकि पुनः सुपुर्दगी के हस्ताक्षरित नोटिस सहित जीवन बीमा निगम को संबोधित करते हुए इसे प्राप्त करने के लिए विधिक रूप से हकदार किया जाए।

(3) यदि पालिसी इसकी सुपुर्दगी के दौरान परिपक्व हो जाती है अथवा भुगतान के लिए देय हो जाती है तो सक्षम प्राधिकारी, उपचित बोनस यदि कोई है सहित बीमाकृत राशि की वसूली करेगा, इस प्रकार वसूल की गई राशि पालिसी के सम्बन्ध में उस पर ब्याज सहित अथवा निधि से अदा की गई समस्त राशि जो भी कम हो, सदस्य के खाते में जमा करवायेगा और शेष यदि कोई हो सदस्य को वापिस करेगा।

आवासगृह/फ्लैट की खरीद अथवा आवास गृह के निर्माण जिसमें आवासगृह के लिए उपर्युक्त स्थान की खरीद भी शामिल है, के लिए निधि से धन को निकलवाना

24. (1) सक्षम प्राधिकारी अथवा जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत कोई अन्य अधीनस्थ अधिकारी किसी सदस्य से ऐसे प्ररूप ङ में, जो विहित किया जाए, तथा इस पैरे में विहित शर्तों के अध्यधीन आवेदन प्राप्त होने पर निधि में सदस्य के खाते में जमा राशि में से धन वापसी की स्वीकृति दे सकता है,—

(क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, कोई सहकारी समिति, कोई संस्थान, कोई ट्रस्ट, कोई स्थानीय निकाय अथवा आवास वित्त निगम (जिन्हें, इसमें, इसके बाद एजेंसी/एजेंसियों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) से अन्य लोगों के संयुक्त स्वामित्व में

किसी भवन में फ्लैट (एक दम खरीद अथवा किराया खरीद आधार पर) सहित आवास गृह/फ्लैट खरीदने के लिए या उपयुक्त स्थल अर्जन के प्रयोजन सहित आवास गृह का निर्माण करने के लिए; अथवा

(ख) किसी वैयक्तिक से आवास गृह अथवा तैयार निर्मित आवास गृह/फ्लैट के निर्माण के प्रयोजन के लिए किसी आवासीय स्थल की खरीद के लिए अथवा फ्लैट या अपार्टमैंट स्वामित्वाधिकार अधिनियम या राज्य या क्षेत्र में तत्समय लागू केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के किसी अन्य सदृश या उसी प्रकार की विधि के किन्हीं उपबन्धों द्वारा शासित किसी प्रवर्तक से स्वामित्व आधार पर खरीदे गए आवास गृह फ्लैट के लिए, तथा जो आवास गृह/फ्लैट का निर्माण करना चाहता है, करता है तथा सदस्य गृह/फ्लैट के उक्त निर्माण के लिए अग्रिम धन, उक्त प्रवर्तक को देने के लिए अपेक्षित है :

परन्तु सदस्य ने फ्लैट अथवा अपार्टमैंट स्वामित्वाधिकार अधिनियम अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई अन्य सदृश या उसी प्रकार की विधि जोकि किसी राज्य या किसी क्षेत्र में लागू की जाए, के अधीन यथापेक्षित प्रवर्तक के साथ करारनामा कर लिया है तथा उक्त करारनामा भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम 16), के अधीन पंजीकृत है; या

(ग) सदस्य द्वारा अथवा सदस्य के पति/पत्नी अथवा सदस्य तथा पति/पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व किसी स्थल पर किसी आवास गृह के निर्माण के लिए अथवा ऐसे स्थल पर सदस्य अथवा उसके पति/पत्नी द्वारा पहले से प्रारम्भ किए गए किसी आवास गृह के निर्माण को पूरा करने/जारी रखने के लिए अथवा उपर्युक्त खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन सदस्य और पति/पत्नी के संयुक्त नाम पर कोई गृह/फ्लैट खरीदने के लिए;

व्याख्या (1)—इस पैरा में, "सहकारी समिति" की अभिव्यक्ति से अभिप्राय है, सहकारी समिति अधिनियम, 1912 (1912 की अधिनियम 2), के अधीन या सहकारी समिति से सम्बन्धित किसी राज्य में तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत अथवा पंजीकृत समझी गई कोई समिति।

(2)(क)—स्थल की खरीद के प्रयोजन के लिए उस पर मकान बनाने के लिए राशि सदस्य के 24 मासिक मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते अथवा नियोक्ता के हिस्से के अंशदान सहित सदस्य को अपने हिस्से के अंशदान तथा उस पर लगे ब्याज सहित अथवा आवास स्थल की अर्जन की वास्तविक कीमत इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

(ख) तैयार निर्मित गृह/फ्लैट के अर्जन के प्रयोजन के लिए अथवा किसी गृह/फ्लैट के निर्माण के लिए निकालने वाली राशि सदस्य के छत्तीस महीनों के मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते अथवा नियोक्ता के हिस्से के अंशदान सहित सदस्य के अंशदान के अपने हिस्से, उस पर लगे ब्याज सहित या निर्माण की कुल लागत, जो भी कम है, से अधिक नहीं होगी।

(3)(क)—इस पैरे के अधीन कोई भी निकालने वाली राशि तब तक स्वीकृत नहीं की जायेगी जब तक कि :—

(i) सदस्य ने निधि की सदस्यता के दस वर्ष पूरे न कर लिए हो;

(ii) निधि में उसके जमा खाते में बकाया राशि पर लगे ब्याज सहित सदस्य के अंशदान का अपना हिस्सा एक हजार रुपये से कम न हो;

(iii) आवास स्थल या आवास गृह/फ्लैट अथवा निर्माणाधीन गृह ऋण मुक्त न हो:

परन्तु जहां कोई आवास स्थल या आवास गृह/फ्लैट, उप-नियम (1) के खण्ड क में किसी एजेन्सी के पास केवल मात्र, आवास गृह/फ्लैट या आवास के निर्माण के प्रयोजन के लिए—

उपयुक्त स्थल का अर्जन भी शामिल है, के लिए निधियां प्राप्त करने के लिए बंधक है तो ऐसे कोई आवास स्थल या आवास गृह/फ्लैट को, जैसी भी स्थिति हो, ऋण ग्रस्त सम्पत्ति नहीं समझी जायेगी;

परन्तु यह और कि किसी आवास गृह/फ्लैट के निर्माण के लिए 30 वर्ष से अनधिक किसी अवधि के लिए साश्वत पट्टा या किसी पट्टे पर अर्जित कोई भूमि अथवा ऐसे पट्टे भूमि पर निर्मित कोई गृह/फ्लैट भी ऋणग्रस्त सम्पत्ति नहीं समझी जाएगी :

परन्तु यह और कि उप-नियम (1) के खण्ड (क) में उल्लिखित किसी एजेन्सी के नाम पर जहां आवास गृह/फ्लैट स्थल है और आबंटिती (अलाटी) ऐसी एजेन्सी के पूर्व अनुमोदन के बिना आवास गृह/फ्लैट के अन्तरण या अन्यथा निपटान के लिए प्रतिबन्धित है तो केवल इस

तथ्य पर आबंटिती (अलाटी) को गृह/फ्लैट के स्वामित्व का पूर्ण अधिकार नहीं है और स्थल एजेन्सी के नाम पर है, उप-नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन धन वापसी की रोक नहीं होगी, यदि इस पैरे में वर्णित अन्य शर्तों की संतुष्टि हो जाती है।

(ख) संयुक्त रूप से स्वाधिकृत स्थल के इलावा संयुक्त सम्पत्ति में हिस्सा खरीदने या संयुक्त रूप से स्वाधिकृत स्थल पर गृह के निर्माण हेतु राशि निकलवाने की अनुमति नहीं दी जायेगी, बशर्ते कि ये उप नियम (2) में विहित सीमा के अध्यधीन हो।

(4) (क) जहां उप-नियम (1) के खण्ड (क) में उल्लिखित एजेन्सी से आवास गृह/फ्लैट या आवास स्थल की खरीद के लिए धन निकलवाया जाता है, तो धन का भुगतान सदस्य को नहीं किया जायेगा लेकिन एक या अधिक किस्तों में एजेन्सी को सीधे किया जायेगा, जैसा कि सदस्य द्वारा प्राधिकृत किया जाये।

(ख) जहां धन आवास गृह के निर्माण के लिये निकलवाया जाता है, तो यह ऐसी किस्तों में स्वीकृत किया जायेगा, जो प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा उपयुक्त समझी जाए।

(ग) जहां उप-नियम (1) के खण्ड (ख) में यथा उल्लिखित किसी प्रवर्तक से स्वामित्व आधार पर आवास गृह/फ्लैट खरीदने के लिए धन निकलवाया है, तो निकलवाये गए धन का भुगतान सदस्य को एक या अधिक किस्तों में किया जायेगा, जैसा कि उक्त प्रवर्तक द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित हो या जैसा सदस्य द्वारा प्राधिकृत किया जाये।

व्याख्या—"प्रवर्तक" में शामिल है कोई व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों या कम्पनी, सहकारी समिति या अन्य व्यक्तियों के संघ और उसके समनुदेशतियों के लिये ब्लाक या भवन के फ्लैट कुछ या उनमें से सभी बेचने के प्रयोजनार्थ निर्माण करता है अथवा करवाता है तथा ऐसा व्यक्ति जो निर्माण करता है और व्यक्ति जो विक्रय करता है, दोनों अलग व्यक्ति हैं, अभिव्यक्ति "प्रवर्तक" में दोनों शामिल हैं।

(5) जहां किसी आवास गृह के निर्माण के लिए राशि निकलवाना स्वीकृत किया गया है, तो वहां राशि की प्रथम किश्त निकलवाने के छः मास के भीतर निर्माण शुरु होगा और राशि निकलवाने की अन्तिम किश्त के बारह मास के भीतर निर्माण पूरा किया जायेगा। जहां किसी आवास गृह/फ्लैट की खरीद या आवास स्थल के अर्जन के लिये राशि निकलवानी स्वीकृत की जाती है, तो खरीद या अर्जन, जैसी भी स्थिति हो, राशि के निकलवाने के छः मास के भीतर पूरा किया जायेगा :

परन्तु यह उपबन्ध किराया खरीद आधार पर आवास गृह/फ्लैट खरीदने के मामले में लागू नहीं होगा तथा ऐसे मामले जहां किसी सहकारी समिति द्वारा इसके सदस्यों की ओर से उनके आबंटन (अलाटमैंट) को ध्यान मे रखते हुए कोई आवास स्थल अर्जित किया जाना है या मकान बनाये जाने हैं।

(6) उप-नियम (8) तथा (9) में विनिर्दिष्ट मामलों को छोड़ कर इस नियम के अधीन किसी सदस्य को राशि निकलवाना स्वीकार्य नहीं होगा।

(7) सदस्य या उसके पति या पत्नी दोनों या सदस्य तथा पति-पत्नी दोनों द्वारा संयुक्त रूप से स्वाधिकृत आवास गृह में परिवर्धन या मूल परिवर्तन अथवा आवश्यक सुधार के लिए बारह मास के मूल वेतन और महंगाई भत्ते या सदस्य का निधि के ब्याज सहित उसके खाते में जमा बकाया अपना हिस्से का अंशदान जो भी कम है, की अतिरिक्त राशि एक किश्त में निकलवाने दी जायेगी :

परन्तु यह राशि निकलवाना, आवास गृह के मुकम्मल होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के बाद स्वीकार्य होगा।

(8) नये आवेदन पत्र की तिथि को उपर्युक्त उप-नियम (2) के अधीन किसी सदस्य को अनुज्ञेय निकलवाई गई राशि और निकलवाई गई वह राशि, जो सदस्य द्वारा 3 अक्तूबर, 1981, से पूर्ववर्ती छः वर्ष के दौरान किसी समय इस नियम के अधीन निकाली गई थी, के बीच के अन्तर की राशि के बराबर और निकलवाई राशि निम्नलिखित ऐसे सदस्यों को दी जाए—

(i) जिसमें निवास स्थल की खरीद के लिये पहले अग्रिम राशि ली थी और अब खरीदी हुई भूमि पर निवास गृह बनाना प्रस्तावित है, या

(ii) जिसने उपर्युक्त उप-नियम (1) के खण्ड (क) में यथा विनिर्दिष्ट किसी एजेन्सी से गृह/फ्लैट के आबंटन/खरीद के लिए प्रारम्भिक भुगतान करने हेतु पहले जो अग्रिम राशि प्राप्त की थी और इस प्रकार खरीदे हुए गृह/फ्लैट का एक मात्र स्वामित्व प्राप्त करने हेतु लेन-देन पूरा करने के लिए निकलवाई गई राशि का लाभ उठाना अब प्रस्तावित है; या

(iii) जिसने निवास के निर्माण के लिए पहले अग्रिम राशि प्राप्त की थी किन्तु जो निधियों की कमी के कारण समय-समय पर निर्माण पूरा नहीं कर सका।

(9) उप-नियम (7) के अधीन, सदस्य या उसके पति/पत्नी द्वारा या सदस्य या उसके पति/पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से स्वाधिकृत निवास गृह के परिवर्धनों,/परिवर्तनों, सुधार या मुरम्मत के लिए बारह मास का मूल वेतन और महंगाई भत्ता तक अथवा उसके खाते में उस पर ब्याज सहित सदस्य का अपने हिस्से का अंशदान जो भी कम हो, निकलवाने के दस वर्ष के बाद, दिया जा सकता है।

(10) सदस्य हक विलेख और ऐसे अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जो निरीक्षण के लिए अपेक्षित हो, जो अनुदान निकलवाने के बाद सदस्य को वापिस कर दिये जायेंगे।

(11) यदि इस नियम के अधीन प्रदान की गई निकासी उस प्रयोजन के लिए जिसके लिये वह स्वीकृत की गई थी वास्तविक रूप से खर्च की गई राशि से अधिक हो जाती है तो सदस्य द्वारा अधिक राशि निवास गृह की खरीद को अन्तिम रूप देने अथवा निर्माण के होने या उसमें आवश्यक परिवर्धन, परिवर्तन या सुधार, जैसी भी स्थिति हो, के तीस दिन के भीतर एक मुश्त राशि निधि में वापिस कर दी जाएगी। इस प्रकार वापिस की गई राशि, उपर्युक्त हिस्से में से दी गई निकासी की सीमा तक निधि में सदस्य के लेखे में नियोक्ता के अंशदान के हिस्से में जमा की जाएगी और शेष राशि, यदि कोई हो, सदस्य के अंशदान के हिस्से में उसके खाते में जमा करवा दी जाएगी।

(12) ऐसे सदस्य के मामले में, जिसे निवास स्थल/निवास गृह/फ्लैट आबंटित नहीं किया गया है या सदस्य को किए गए आबंटन के रद्द हो जाने की दशा में तथा उप-नियम (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट एजेंसी द्वारा राशि वापस कर देने पर या सदस्य द्वारा किसी व्यक्तिगत से निवास स्थल अर्जित न कर पाने या निवास गृह/फ्लैट न खरीदे जाने या निवास गृह बनाने में असमर्थ रहने की स्थिति में, सदस्य, एक मुश्त राशि निधि में वापिस करने के लिए दायी होगा। इस प्रकार वापिस की गई राशि उपर्युक्त हिस्से में से दी गई निकाले जाने की सीमा तक निधि में से सदस्य के लेखे में से नियोक्ता के अंशदान के हिस्से में जमा की जाएगी और शेष राशि, यदि कोई हो, सदस्य के उसके लेखे में अंशदान के अपने हिस्से में जमा की जायेगी।

(13) यदि सक्षम प्राधिकारी, या जहां इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत उसके अधीनस्थ कोई अधिकारी की सन्तुष्टि हो जाती है कि इस नियम के अधीन निकाल कर दी गई राशि का उपयोग उस प्रयोजन से अन्यथा किसी अन्य प्रयोजन के लिये किया गया है, जिस प्रयोजन के लिये वह दी गई थी या सदस्य ने आबंटन स्वीकार करने या निवास स्थल अर्जित करने से इन्कार कर देता है या निकलवाने की शर्तों को पूरा नहीं किया गया है या युक्तियुक्त आशंका है कि उन्हें पूर्णतः या अंशतः पूरा नहीं किया जायेगा ; उप-नियम (ii) की शर्तों के अनुसार अधिक राशि को वापिस नहीं किया जायेगा या नियम (1) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट किसी एजेन्सी द्वारा सदस्य को दी गई राशि उप-नियम (ii) की शर्तों के अनुसार वापिस नहीं की जाएगी या उप-नियम (1) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट किसी एजेन्सी द्वारा सदस्य को वापिस की गई राशि उप नियम (12) की शर्तों के अनुसार वापिस नहीं की जाएगी, सक्षम प्राधिकारी या जहां इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा सदस्य की मजदूरी में से दो प्रतिशत वार्षिक की दर पर शास्तिक ब्याज सहित देय राशि किश्तों की ऐसी संख्या में वसूल करने की तुरन्त कार्यवाही करेगा जो सक्षम प्राधिकारी या जहां इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाये। ऐसी वसूली के प्रयोजन के लिए, सक्षम प्राधिकारी या जहां इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा सदस्य के वेतन में से ऐसी किश्तें काटने का निर्देश दिया जा सकता है तथा ऐसा निर्देश प्राप्त होने पर तदानुसार राशि काट ली जायेगी।

इस प्रकार काटी गई राशि, सक्षम प्राधिकारी या जहां इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी को, ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति में, जैसे निदेशन में विनिर्दिष्ट है, भेजी जाएगी। इस प्रकार वापिस की गई राशि में से शास्तिक ब्याज निकाल कर निधि में से सदस्य के लेखे में नियोक्ता के अंशदान के हिस्से में उक्त हिस्से में से प्रदान की गई निकलवाने की सीमा तक निकाल कर जमा किया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो। सदस्य के अपने अंशदान के हिस्से में उसके लेखे में जमा करवा दी जाएगी। शास्ति ब्याज की राशि, तथापित ब्याज राजस्व खाता में जमा करवाई जाएगी :

परन्तु उप-नियम (13) के अधीन निकाली की वसूली केवल उन मामलों तक रोक दी जाएगी जहां वसूली के आदेश स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा किए गये हैं और जबकि सदस्य सेवा में हैं।

(14) जहां इस नियम के अधीन प्रदान की गई किसी निकासी का सदस्य द्वारा दुरुपयोग किया गया हो, इस नियम के अधीन उसे उक्त निकासी प्रदान करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर या उक्त निकासी की राशि की पूर्ण वसूली तक, उस पर शास्तिक ब्याज सहित, जो भी बाद में हो, आगे कोई निकासी प्रदान नहीं की जाएगी।

विशेष मामलों में कर्जों के प्रतिसदाय के लिए निधि में से निकलवाना।

25. (1) (क) सक्षम प्राधिकारी अथवा जहां इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत उसके अधीनस्थ कोई अधिकारी नियम 25 के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार, सहकारी समिति, आवास बोर्ड, नगर निगम अथवा बैंक अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण के समान निकाय से प्राप्त कर्ज का कोई बकाया मूलधन तथा ब्याज की पूर्ण अथवा आंशिक रूप से प्रतिसंदाय के लिए निकासी, निधि में सदस्य जमा खाते में बकाया राशि में से, किसी सदस्य से प्राप्त आवेदन पत्र पर, स्वीकृत कर सकता है।

(ख) निकलवाई गई राशि, सदस्य की 36 मास की मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता या मूल मजदूरी या निधि में सदस्य के लेखे में से उस पर ब्याज सहित नियोक्ता के अंशदान के हिस्से के साथ अंशदान का उसका हिस्सा या उक्त ऋण के बकाया मूलधन की राशि तथा उस पर ब्याज, जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी।

(2) कोई निकासी इस नियम के अधीन तब तक स्वीकृत नहीं की जाएगी जब तक कि—

(क) सदस्य ने निधि की सदस्यता के दस वर्ष पूर्ण नहीं किए हों ; और

(ख) निधि में सदस्य के अपने अंशदान के हिस्से में ब्याज सहित उसके जमा खाते में एक हजार रुपये या उससे अधिक की राशि जमा न हो ; या

(ग) सदस्य एजेन्सी से, सदस्यों के ब्यौरे, दिए गए ऋण, ऋण के मूलधन तथा ब्याज के बकाया तथा ऐसे अन्य ब्यौरे जो अपेक्षित हों, दर्शाते हुए कोई प्रमाण-पत्र या ऐसे अन्य दस्तावेज जो सक्षम प्राधिकारी या जहां सक्षम प्राधिकारी या जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा विहित किया जाए प्रस्तुत नहीं करता।

(3) इस नियम के अधीन निकलवाई गए भुगतान सदस्य से प्राधिकार प्राप्त कर लेने पर सक्षम प्राधिकारी अथवा जहां इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाअपेक्षित उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी द्वारा जैसाकि अपेक्षित किया जाए सीधे उसी एजेन्सी को की जायेगी और भुगतान किसी भी दशा में सदस्य को नहीं किया जाएगा।

कतिपय मामलों में बीमारी के लिए निधि में से अग्रिम लेना।

26. (1) निधि में से सदस्य को उसके खाते में से न लौटाये जाने वाले अग्रिम की अनुमति निम्नलिखित मामलों में दी जा सकती है—

(क) एक या अधिक मास के लिए चिरस्थायी हस्पताल में रखना ; या

(ख) किसी हस्पताल में बड़ा सर्जीकल आप्रेशन ; या

(ग) तपेदिक, कुष्ठ रोग, पक्षाघात, कर्कट (कैंसर) पागलपन अथवा हृदय रोग से पीड़ित और उक्त बीमारियों के उपचार के लिए उसके नियोक्ता द्वारा अवकाश प्रदान किया गया है।

(2) अग्रिम प्रदान किया जाएगा, यदि

(क) नियोक्ता द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि सदस्य को कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम सुविधा और उसके अन्तर्गत लाभांश वास्तव में उपलब्ध नहीं है या सदस्य द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जारी इस आशय का प्रमाण पत्र पेश किया जाता है कि वह कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अन्तर्गत नकद लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं रहा ; और

(ख) राजकीय अस्पताल के किसी चिकित्सक द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि सर्जीकल आप्रेशन अथवा जैसी भी स्थिति हो एक या अधिक मास के लिए हस्पताल में रखने की आवश्यकता थी या हो गई है अथवा मानसिक रोग या हृदय रोग के मामले में किसी विशेषज्ञ द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि सदस्य तपेदिक, कुष्ठ रोग, पक्षाघात, कर्कट रोग (कैंसर), मानसिक पागलपन अथवा हृदय रोग से पीड़ित है।

(3) किसी सदस्य को अपने परिवार के किसी सदस्य के उपचार के लिए अपने खाते में से न वापिस किए जाने वाला अग्रि अनुज्ञात किया जा सकता है जिसे एक या अधिक मास के लिए अस्पताल में रखा गया है या अस्पताल में रखने के लिए अपेक्षित हो—

(क) बड़े शल्य आप्रेशन के लिए ; या

(ख) तपेदिक, कुष्ठ रोग, पक्षाघात, कर्कट रोग (कैंसर) मानसिक पागलपन अथवा हृदय रोग के उपचार के लिए :

परन्तु किसी सदस्य को ऐसा अग्रिम तब तक प्रदान किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित प्रस्तुत नहीं करता—

(i) राजकीय अस्पताल के किसी डाक्टर से कोई प्रमाण-पत्र कि रोगी को अस्पताल में रखा गया है या एक या अधिक मास के लिए अस्पताल में रखना अपेक्षित है अथवा बड़ा शल्य आपरेशन करना जरूरी हो गया था या हो गया है, तथा

(ii) उसके नियोक्ता से कोई प्रमाण-पत्र कि रोगी के उपचार के लिए उसे कर्मचारी राज्य बीमा योजना की सुविधा और प्रसुविधा उपलब्ध नहीं है।

(4) इस नियम के अधीन दी गई अग्रिम राशि, सदस्य के छः मास के मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते अथवा मूल मजदूरी अथवा निधि में उसके अपने हिस्से के अंशदान में ब्याज सहित, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

(5) जहां इस नियम के अधीन सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये चिकित्सा प्रमाण-पत्र से जहां सक्षम अधिकारी अथवा जहां इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत उसके अधीनस्थ कोई अधिकारी सन्तुष्ट नहीं है, तो वह इस नियम के अधीन कोई अग्रिम प्रदान करने से पूर्व सदस्य से अपनी सन्तुष्टि के लिए अन्य चिकित्सा प्रमाण पत्र की मांग कर सकता है।

बच्चों के विवाह या मैट्रिक शिक्षा के लिए निधि में से अग्रिम

27. (1) सक्षम प्राधिकारी अथवा जहां इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत उसके अधीनस्थ कोई अधिकारी को, किसी सदस्य के आवेदन पर, उसे भविष्य निधि खाते में से लौटाए न जाने वाले अग्रिम के भुगतान के लिए प्राधिकृत कर सकता है, जो राशि सदस्य की अपनी शादी, उसकी बेटी, बेटा, बहन या भाई की शादी के लिए या उसके बेटा या बेटी की मैट्रिक शिक्षा के लिए अग्रिम, ऐसे प्राधिकरण की तिथि को निधि में उसके जमा खाते में जमा उस पर ब्याज सहित अपने अंशदान के हिस्से के 50 प्रतिशत से अधिक न हो।

(2) इस नियम अधीन कोई भी अग्रिम, किसी सदस्य को तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि—

(क) वह निधि की सदस्यता के सात वर्ष पूर्ण कर लेता है ; और

(ख) निधि में उसके लेखे में जमा बकाया उस पर ब्याज सहित उसके अपने हिस्से के अंशदान की राशि एक हजार रुपये या उससे अधिक न हो।

(3) इस नियम के अधीन सदस्य को तीन से अधिक अग्रिम अनुज्ञेय नहीं होंगे।

असामान्य परिस्थितियों में अग्रिम देना

28. (1) सक्षम प्राधिकारी अथवा जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत उसके अधीनस्थ कोई अधिकारी, किसी सदस्य के आवेदन पर, जिसकी चल या अचल सम्पत्ति असाधारण प्राकृतिक विपति जैसे बाढ़ों, भूकम्प अथवा दंगों द्वारा क्षतिग्रस्त हो गई है, इन अप्रव्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए ऐसे प्राधिकरण की तिथि को भविष्य निधि खातों में से पांच हजार रुपये या अपने कुल अंशदान के 50 प्रतिशत जिसमें उसके खाते में बकाये पर ब्याज शामिल है, लौटाए न जाने वाले अग्रिम, जो भी कम हो, के भुगतान के लिए उसे प्राधिकृत कर सकता है। 50 प्रतिशत उसके अपने कुल अंशदान ब्याज सहित उसकी जमा राशि का, जो अग्रिम की अदायगी देने का प्राधिकार दे सकता है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन कोई भी अग्रिम तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक—

(i) राज्य सरकार घोषणा नहीं करती कि आपदा में, क्षेत्र की सामान्य जनता प्रभावित हुई है;

(ii) सदस्य, उपयुक्त प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है कि आपदा के कारण उसकी चल या अचल सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हो गई है ; और

(iii) उप-खण्ड (1) में निर्दिष्ट घोषणा की तिथि से चार मास की अवधि के भीतर अग्रिम के लिए आवेदन पत्र नहीं किया है।

सदस्यों को अग्रिम देना जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं

29. (1) कोई सदस्य, जो शारीरिक रूप से विकलांग है विकलांगता के कारण होने वाली कठिनाई को कम करने के लिए अपेक्षित कोई उपकरण खरीदने हेतु निधि में अपने खाते में से लौटाए न जाने वाली अग्रिम के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन कोई भी अग्रिम सदस्य को तब तक नहीं दिया जाएगा तब तक कि वह सक्षम प्राधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाए कि सन्तुष्टि के लिए किसी चित्सिका अधिकारी से इस आशय का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है कि वह शारीरिक रूप से विकलांग है।

(3) इस नियम के अधीन दी गई अग्रिम राशि, सदस्य के छः मास के मूल वेतन और मंहगाई भत्ते अथवा मजदूरी अथवा उस पर ब्याज सहित उसके अपने हिस्से के अंशदान का हिस्सा अथवा उपकरण की लागत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

(4) इस नियम के अधीन कोई भी दूसरा अग्रिम इस नियम के अधीन अनुज्ञात किसी अग्रिम के भुगतान की तिथ से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अनुज्ञात नहीं होगा।

सेवा निवृति से पूर्व एक वर्ष के भीतर निकाला जाना

30. सक्षम प्राधिकारी अथवा जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत उसके अधीनस्थ कोई अधिकारी, सदस्य से आवेदन पत्र, ऐसे प्ररूप ङ में जो विहित किया जाए, प्राप्त होने पर, सदस्य द्वारा 54 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् अथवा अपनी वास्तविक सेवानिवृति या

अधिवार्षिता, जो भी बाद में हो, से पूर्व एक वर्ष के भीतर किसी भी समय अपने जमा खाते में से बकाया राशि का 90 प्रतिशत तक निकाले जाने की अनुमति दे सकता है।

कतिपय मामलों में निधि में से वापस करने योग्य अग्रिम

31. सदस्य को, सक्षम प्राधिकारी अथवा जहां इस प्रकार प्राधिकृत उसके अधीनस्थ कोई अन्य कर्मचारी द्वारा अग्रिम की अनुमति निम्नलिखित परिस्थितियों में दी जा सकती है :—

(क) अन्त्येष्टि अथवा धार्मिक संस्कारों, जो सदस्य के लिए धार्मिक कर्तव्य का पालन करने के लिए आवश्यक है, के सम्बन्ध में खर्च का भुगतान करने के लिए, परन्तु इस प्रकार दी गई अग्रिम राशि, अन्तयेष्टि या धार्मिक संस्कारों के मामलों में सदस्य के छः मास के मूल वेतन जमा मंहगाई भत्ते अथवा मूल मजदूरी अथवा उस पर ब्याज सहित सदस्य के अंशदान के हिस्से, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी;

(ख) कर्मचारी द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के उन्मोचन में उसके द्वारा किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध लगाये गये किन्ही आरोपों के बारे में अपनी स्थिति का समर्थन करने के लिए, दायर की गई कानूनी कार्यवाहियों की लागत को पूरा करने के लिए अथवा अपनी सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए जब उस पर, नियोक्ता द्वारा किसी शासकीय कदाचार के संबंध में किसी विधि के न्यायालय में अभियोग लगाया जाता है, परन्तु इस खण्ड के अधीन कर्मचारी को अग्रिम नुज्ञेय नहीं होगा, जो किसी न्यायालय में कानूनी कार्यवाहियां दायर करता है चाहे उसके पदीय कर्तव्य से कोई मामला सम्बन्धित न हो या किन्हीं सेवा शर्तों के संबंध में अथवा उस पर अधिरोपित शक्ति के संबंध में नियोक्ता के विरुद्ध हो, परन्तु यह और कि इस प्रकार दी गई अग्रिम राशि सदस्य के छः मास के मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते अथवा मूल मजदूरी अथवा उस पर उसके अपने अंशदान के हिस्से तथा उस पर ब्याज, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी ;

(ग) इस नियम के अधीन द्वितीय अग्रिम तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक प्रथम अग्रिम का पूर्णतः पुनः भुगतान नहीं कर दिया गया हो और उसके पश्चात् कम से कम एक वर्ष का अन्तराल बीत नहीं गया हो। तथापि, सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में अभिलिखित कारणों के पश्चात् सुपात्र मामलों में यह शर्त हटा सकता है।

कतिपय मामलों में राशि की वसूली

32. (1) किसी सदस्य को दी गई अग्रिम की कोई राशि इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय राशि में अधिक हो जाती है या दी गई अग्रिम राशि यदि इस प्रयोजन के लिए जिसके लिए अग्रिम दिया गया था, उपयोग नहीं किया है, तो सदस्य द्वारा यथासम्भव शीघ्र निधि में वापिस जमा करवा दी जाएगी और ऐसी रीति में जो सक्षम प्राधिकारी विहित करे।

(2) यदि सदस्य उक्त राशि वापिस जमा करवाने में असफल हो, तो यह राशि हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा भुगतान योग्य किसी अन्य देय राशि उसके वेतन, मजदूरी, मंहगाई भत्ता तथा भुगतान योग्य देय राशि आदि में ऐसी रीति में जो विनिश्चित करे वसूल की जाएगी।

अग्रिम पर ब्याज

33. (1) किसी सदस्य द्वारा लिए गए लौटाए न जाने वाले के मामले में, ऐसी अग्रिम सदस्य के अपने अंशदान और नियोक्ता के अंशदान लेखा के नाम में डाल दिया जाएगा और उसके जमा खाते के कुल धन में से ऐसी-ऐसी अग्रिम घटा दिया जाएगा और सदस्य द्वारा लौटाए न जाने वाले पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(2) सभी लौटाये जाने वाले अग्रिमों पर सदस्य ब्याज उसी दर पर देगा जो पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में लागू है।

(3) ब्याज, मास के अन्तिम दिन को सदस्य के नाम बकाया राशि पर सम्पूर्ण मास के लिए साधारण ब्याज की दर पर संगणित किया जायेगा।

(4) उप-नियम (3) के अनुसार लिए गए अग्रिम पर निकाला गया कुल ब्याज अग्रिम की वसूली होने के तुरन्त पश्चात् वसूल किया जाएगा, ब्याज की वसूली मासिक किश्तों में की जाएगी।

परिस्थितियां, जिनके अधीन निधि में संचित राशि सदस्य को देय हो जाती है

34. निधि में सदस्य के नाम जमा पूर्व/संचित बकाया, जिसमें नियोक्ता का अंशदान भी शामिल है, सदस्य या उसके नामजद व्यक्ति अथवा उसके वैद्य उतराधिकारी द्वारा, जैसी भी स्थिति हो निम्नलिखित परिस्थितियों में निकलवा सकता है :—

(i) अधिवार्षिता की आयु पूरी होने के पश्चात् सेवा से सेवानिवृति पर तथा ऐसा कोई सदस्य जिसने अपने सेवा समाप्ति पर त्याग करने के समय पर अधिवार्षिता की आयु पूरी नहीं की है, निधि में से अपने जमा खाते में बकाया पूर्ण राशि निकलवाने का हकदार होगा ;

(ii) सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा शारीरिक अथवा मानसिक रूप से कार्य के लिए विधिवत अंशक्तता प्रमाणित होने पर स्थायीतौर पर तथा पूर्णतया असमर्थता के कारण सेवानिवृति होने पर ;

(iii) सामुहिक या व्यक्तिगत छंटनी के मामले में, सेवा की समाप्ति पर ;

(iv) हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के बन्द होने पर, ऐसे कर्मचारी, जिनकी छंटनी नहीं की जाती और जिन्हें हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसी किसी अन्य स्थापनाओं में स्थानान्तरित कर दिया जाता है जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43), और/अथवा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अधीन मान्यता प्राप्त किसी भविष्य निधि स्कीम के अन्तर्गत नहीं जाती है ; अथवा

(v) हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण से किसी सदस्य को ऐसी स्थापना में स्थानान्तरित किये जाने पर, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) तथा/अथवा कर्मचारी भविष्य और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19), के अधीन किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि स्कीम में नहीं आती है।

मृतक सदस्य के संचयन की अदायगी, जिसको देय है

35. सदस्य की मृत्यु होने पर, उसके जमा खाते में बकाया राशि निम्नानुसार—भुगतान योग्य होगी :—

(क) यदि इन नियमों के अनुसार सदस्य द्वारा किया गया नामांकन अस्तित्व में रहता है, तो निधि में उसके जमा खाते में बकाया राशि अथवा उसका भाग जिससे नामांकन संबंधित है, ऐसे नामांकन के अनुसार नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों को अदायगी योग्य होगी ; अथवा

(ख) यदि कोई नामांकन अस्तित्व में नहीं रहता अथवा यदि नामांकन निधि में उसके जमा खाते में बकाया राशि के केवल किसी भाग से सम्बन्धित है, तो सम्पूर्ण राशि अथवा उसका कोई भाग, जिससे नामांकन सम्बन्धित नहीं है, जैसी भी स्थिति हो, उसके परिवार के सदस्यों को बराबर हिस्सों में देय होगी :

परन्तु निम्नलिखित को कोई भी हिस्सा देय नहीं होगा :—

(i) पुत्र, जो व्यस्क को गए हैं,

(ii) मृतक पुत्र के पुत्र, जो व्यस्क हो गए हैं ;

(iii) विवाहित पुत्रियां जिसके पति जीवित हैं ; तथा

(iv) मृतक पुत्र की विवाहित पुत्रियां, जिनके पति जीवित हैं, यदि उपरोक्त खण्ड (i), (ii), (iii) तथा (iv) में विनिर्दिष्ट से भिन्न उस परिवार का कोई सदस्य है :

परन्तु यह और कि मृतक पुत्र की विधवा या विधवाएं और बच्चा या बच्चे बराबर हिस्से में केवल उस हिस्से को प्राप्त करेंगे जो हिस्सा उस पुत्र ने प्राप्त किया होता, यदि वह जीवित होता और सदस्य की मृत्यु के समय व्यस्क की आयु प्राप्त नहीं की हो।

(ग) किसी भी मामले में, जिसमें खण्ड (क) तथा खण्ड (ख) के उपबन्ध लागू नहीं होते, सम्पूर्ण राशि उस व्यक्ति को दी जाएगी जो उसे कानूनी रूप से लेने का हकदार है।

व्याख्या :— इस नियम के प्रयोजन के लिए, सदस्य के मरणोपरान्त हुआ बच्चा, यदि जीवित पैदा हुआ है, उसी प्रकार से समझा जाएगा जैसे कि सदस्य की मृत्यु से पूर्व जीवित बच्चा पैदा होता है।

गम्भीर तथा जान-बूझ कर किये कदाचार के लिए पदच्युत सदस्य के लेखों में से कटौतियां

36. (1) इन नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सदस्य को हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा गम्भीर या जानबूझ कर किये गये कदाचार के लिए सेवा से पदच्युत किया जाता है, तो सदस्य को अपने मामले को स्पष्ट करने का सम्यक अवसर देने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को उसके पिछले दो वित्त वर्षों और चालू वित्त वर्ष के, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के अधिकतम अंशदान को जब्त करने की शक्ति होगी, कोई भी निर्णय लेते समय, सदस्य के उत्तर को ध्यान में रखा जायेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन सदस्य के व्यक्तिगत खाते में से इस प्रकार जब्त की गई राशि, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण को वापस नहीं की जायेगी, किन्तु निधि के जब्त लेखे में जमा कर दी जायेगी।

सदस्य को देय बकाया का प्रमाण-पत्र

37. इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों के अधीन किसी सदस्य अथवा नाम निर्देशिसियों या मृत सदस्य के प्रतिनिधियों को देय राशि, सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी के निर्णय के अधीन दिये गये प्रमाण पत्र द्वारा इन नियमों के अनुसार पर्याप्त रूप से अभिनिश्चित तथा निर्धारित की जायेगी और ऐसा प्रमाण-पत्र अन्तिम होगा तथा सभी पक्षकारों पर आबद्धकार होगा :

परन्तु सक्षम प्राधिकारी, किसी सदस्य, मृतक सदस्य के प्रतिनिधि द्वारा, प्रतिवेदन देने पर, प्रकटतः त्रुटि के बारे में, अपना विनिश्चय पुनः निर्धारण कर सकता है। प्रत्येक सदस्य को, देय बकाया का प्रमाण-पत्र पूर्ववर्ती वर्ष के लिए प्रतिवर्ष जुलाई मास में जारी किया जाएगा।

भविष्य निधि का भुगतान

38. (1) इन नियमों के अन्तर्गत किन्हीं कटौतियों के बाद जब किसी सदस्य के जमा खाते में बकाया राशि अथवा उसका कोई बकाया देय हो जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह सदस्य या उसके नामनिर्देशिती, जैसी भी स्थिति हो, को इन नियमों में यथा उपबन्धित भुगतान तुरन्त करें।

(2) यदि इन नियमों के अनुसार कोई नामनिर्देशिती नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी यदि दावेदारों के हक के सम्बन्ध में पूछताछ करने के पश्चात् संतुष्टि हो जाती है तो वह दावेदारों को ऐसी राशि का भुगतान कर सकता है और भुगतान की गई राशि के लिए ऐसे दावेदारों द्वारा दी गई रसीदें सक्षम प्राधिकारी द्वारा दायित्वों का पर्याप्त निर्वहन समझा जाएगा।

(3) यदि राशि का कोई भाग, जोकि भुगतान योग्य हो गया है, विवाद या संदेह में है, तो सक्षम प्राधिकारी, राशि के उस भाग की, जिसके सम्बन्ध में कोई विवाद या संदेह नहीं है, तुरन्त अदायगी करेगा, अति शेष का निपटान यथा सम्भव शीघ्र करेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति जिसको इन नियमों के अधीन कोई राशि भुगतान की जाती है, नाबालिग है जिसको सम्पदा के लिए संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8) के अधीन कोई संरक्षक नियुक्त किया गया है, तो ऐसे संरक्षक को अदायगी कर दी जायेगी। जहां संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8), के अधीन कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया गया है, तो 18 के उप-नियम (5) के अधीन नियुक्त किया गया संरक्षक, यदि कोई है, को अदायगी की जाएगी। जहां संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8), अथवा नियम 18 के उप-नियम (5) के अधीन कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया गया है तो अदायगी नैसर्गिक संरक्षक या नाबालिग की ओर से अदायगी प्राप्त करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को की जायेगी और ऐसे व्यक्ति की रसीद ही उसका पर्याप्त उन्मोचन होगा।

(5) यदि ऐसा व्यक्ति, जिसे इन नियमों के अधीन कोई राशि भुगतान की जानी है, पागल है जिसकी सम्पदा के लिये भारतीय पागलनपन अधिनियम, 1912 (1912 का 4), के अधीन प्रबन्धक नियुक्त किया गया है, तो ऐसे प्रबन्धक को भुगतान कर दिया जायेगा, यदि ऐसा कोई प्रबन्धक नियुक्त नहीं किया गया है, तो पागल के नैसर्गिक संरक्षक को अथवा पागल की ओर से भुगतान प्राप्त करने के लिये विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को भुगतान कर दिया जायेगा और ऐसे व्यक्ति की रसीद ही उसका उन्मोचन पर्याप्त होगा।

(6) यदि सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में यह बात लाई जाती है कि मृतक सदस्य का मरणोतर बालक जन्म लेने वाला है और सदस्य द्वारा पर्याप्त अपेक्षित नामांकन नहीं दिया गया है, तब सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस राशि को रोक लिया जाएगा, जो बच्चे के जीवित उत्पन्न होने की स्थिति में उस बच्चे के लिए देय बन सकती थी। बच्चे की ओर से उस राशि को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को प्रदान की जाएगी और शेष राशि को बॉट दिया जाएगा। यदि बाद में कोई जीवित बच्चा जन्म नहीं लेता है, रोकी गई राशि इन नियमों के उचित उबन्धों के अनुसार वितरित की जाएगी।

(7) यदि कोई व्यक्ति जो इन नियमों के अधीन अदायगी का दावा करना चाहता है, तो सक्षम प्राधिकारी को उनके द्वारा विहित प्ररूप व तथा रीति में लिखित आवेदन पत्र भेजेगा और प्राधिकारी व्यक्ति के विकल्प पर, जिसको भुगतान किया जाना है, निम्नलिखित द्वारा भुगतान कर सकता है—

(i) डाक के माध्यम से रेखांकित चैक द्वारा ; या

(ii) पाने वाले के डाक बचत अथवा बैंक खाता यदि कोई है, में जमा द्वारा।

(8) सदस्य को देय होने वाली किसी राशि के परिणाम के रूप में--

(i) हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण से सदस्य के विषय में अवकाश, मजदूरी/वेतन का बकाया, बकाया अंशदान की किश्तों के सम्बन्ध में प्राप्त किया गया जिसके दावे का लेखे में निपटान कर दिया है किन्तु जो, उसका नवीनतम पता न होने के कारण प्रेषित नहीं किया जा सका, अनुपूरक अंशदान ; या

(ii) किसी सदस्य के सम्बन्ध में संचित राशि, जिसकी नौकरी समाप्त हो गई अथवा मृत्यु हो गई है, किन्तु राशि के देय होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर कोई दावा प्रस्तु नहीं किया गया अथवा यदि कोई रशि किसी व्यक्ति को प्रेषित की गई है वह राशि अवितरित वापिस प्राप्त हो जाती है और उसके देय होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर पुनः इसका कोई दावा नहीं किया जाता है तो इस राशि को जमा खाता कहे जाने वाले किसी जमा खाते में अन्तरित कर दी जाएगी :

परन्तु उक्त बकाया के भुगतान के लिए दावे की दशा में, बाद में प्राप्त करता है राशि का लावारिस जमा खाता में विकलन द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि उक्त बकाया के भुगतान के लिए दावे की दशा में, राशि का "लावारिस जमा खाता" में विकलन द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा।

अन्य भविष्य निधि में सदस्यता के अन्तरण पर

39. जहां कोई सदस्य हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण से अपनी नौकरी छोड़ देता है और किसी अन्य संगठन में या सरकारी विभाग में पुनः नौकरी प्राप्त करता है या स्थानान्तरित हो जाता है, निधि में सदस्य के खाते में जमा बकाया समूची राशि भविष्य निधि में उसके खाते में स्थानान्तरित हो जायेगी, यदि ऐसे संगठन या सरकारी विभाग में भविष्य निधि रखी जाती है, यदि ऐसी भविष्य निधि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43,) तथा/अथवा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), के अधीन मान्यता प्राप्त हो ;

परन्तु सम्बन्धित व्यक्ति, नई भविष्य निधि के ऐसे अन्तरण के लिए आवेदन प्रबन्ध समिति के माध्यम से करेगा :

परन्तु यह और कि ऐसे अन्तरण पर, इस भविष्य निधि के नियम, ऐसे व्यक्ति पर और उसकी अन्तरित राशि पर लागू नहीं होंगे, इन दोनों पर, पश्चातवर्ती नई भविष्य निधि के नियमों द्वारा पूर्णतया शासित होंगे जिसमें सदस्य का लेखा अन्तरित किया जाता है।

कुर्की के विरूद्ध संरक्षण

40. (1) निधि में किसी सदस्य के नाम जमा राशि, किसी भी रूप में समुनुदेशित या प्रभारित किए जाने के लिए समर्थ नहीं होगी तथा सदस्य द्वारा किसी ऋण या अपगत दायित्व के बारे में किसी न्यायालय की किसी डिग्री या आदेश के अधीन कुर्की के लिए दायी नहीं होगी तथा न ही प्रेसिडेन्सी नगर दिवाला अधिनियम, 1909 (1909 का 3), के अधीन नियुक्त राजकीय समुनुदेशिती और न ही प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का 5), के अधीन नियुक्त कोई प्रापक, किसी ऐसी राशि का हकदार नहीं होगा या उस पर कोई दावा नहीं रखेगा।

(2) किसी सदस्य की मृत्यु के समय पर निधि में उसके जमा खाते में बकाया कोई राशि तथा इन नियमों के अधीन उसके नामजद व्यक्ति को देय राशि किसी कटौती के अधीन रहते हुए, नामनिर्देशिती में निहित होगी तथा सदस्य की मृत्यु से पूर्व मृत व्यक्ति या नामनिर्देशिती द्वारा किसी कर्ज या अन्य उपगत दायित्व से मुक्त होगी।

निकलवाई गई राशि किन्तु भुगतान नहीं किया गया

41. निधि में देय किश्तों का पुनः अदायगी बारे किसी सदस्य द्वारा चूक किए जाने की स्थिति में अथवा जहां निकलवाई गई राशि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए यह निकलवाई गई या निकलवाई गई राशि अन्तिम रूप से रोक दी है तथा उसका उपयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं किया गया जिसके लिए निकलवाई गई थी, सक्षम प्राधिकारी एक मात्र स्वविवेकानुसार आदेश दे सकता है कि निकलवाई गई राशि अथवा बकाया राशि को, उसी वर्ष के लिए सदस्य की कुल आय में जोड़ दी जाएगी, जिसमें चूक की गई है तथा तदानुसार आय कर अधिकारी को सूचित कर दिया जाएगा।

प्ररूप क

[देखिए नियम 5 (1)]

हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण कर्मचारी भविष्य-निधि नियम, 2001, के अधीन हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण कर्मचारी को कर्मचारी भविष्य-निधि खाता संख्या आबंटित करने के लिए प्रार्थना-पत्र ।

1. नाम :
2. पदनाम :
3. पिता का नाम :

4. मूल वेतन :
5. कार्यालय जिसके अधीन कार्यरत है :
6. नियुक्ति पत्र के साथ नियुक्ति प्राधिकारी का नाम :
7. सेवा में कार्य-ग्रहण की तिथि :
8. क्या कर्मचारी का परिवार है या नहीं :
9. क्या कर्मचारी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नामांकन की सम्यक् रूप से भरी हुई और कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित की हुई तीन प्रतियां संलग्न हैं :
10. नामांकन किसके पक्ष में और किस अनुपात में किया गया है :

दिनांक : प्रार्थी के हस्ताक्षर

स्थान :

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना सत्य तथा ठीक है।

मोहर सहित कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर

[(देखिए नियम (2)]

हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण कर्मचारी भविष्य-निधि नियम, 2001, के अधीन कर्मचारी भविष्य-निधि जमा खाते को हुड्डा कर्मचारियों को हस्तान्तरित करने के लिए प्रार्थना-पत्र।

टिप्पण :- सदस्य द्वारा मुख्य प्रशासक, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण को आगे भेजने के लिए प्रार्थना-पत्र जिसके द्वारा अन्तरण किया जाना है।

सेवा में

मुख्य प्रशासक,
हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण,
पंचकूला।

मैसर्ज _____
_____
_____

(यदि टिप्पण लागू है तो इसे भरा जाना है)

श्रीमान जी,

मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा भविष्य-निधि जमा बकाया मुझे सूचित करते हुए मेरे वर्तमान खाते में हस्तान्तरित कर दिया जाए। आवश्यक ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :-

1. नाम :
2. पिता/पति (विवाहित स्त्री की दशा में) का नाम :
3. पूर्व नियोक्ता का नाम तथा पता :
4. पूर्व नियोक्ता के पास कर्मचारी भविष्य-निधि खाता संख्या :
5. पूर्व स्थापना का भविष्य-निधि खाता किसके द्वारा रखा गया है :
6. पूर्व नियोक्ता के पास कर्मचारी भविष्य-निधि खाता संख्या (यदि अलग से :
7. पूर्व नियोक्ता की सेवा छोड़ने की तिथि :
8. वर्तमान नियोक्ता के पास कार्यग्रहण की तिथि :

सदस्य के हस्ताक्षर/हाथ के अगूठें का निशान

(वर्तमान नियोक्ता के द्वारा भरा जाए)

1. स्थापना का नाम तथा पता :
2. सदस्य को आबंटित कर्मचारी भविष्य-निधि का कोड तथा खाता संख्या :
3. सदस्य को अलग से आबंटित कर्मचारी भविष्य-निधि खाता संख्या यदि कोई हो :
4. वर्तमान स्थापना में सदस्य का कर्मचारी भविष्य-निधि खाता किसके द्वारा रखा गया है अमुक्त स्थापना की दशा में मुक्त स्थापना की दशा में :
5. वर्तमान स्थापना में सदस्य का कर्मचारी भविष्य निधि खाता किस द्वारा रखा गया है :
6. किसके पक्ष में अन्तरण किया जाना है अर्थात् अदायगी करने वाले का ब्यौरा :

मोहर सहित नियोक्ता/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

(केवल कार्यालय प्रयोग के लिए)

————————रुपये (————————रुपये) की राशि अन्तरण के लिए प्राधिकृत की जाती है :—

मुख्य प्रशासक हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण को मांग ड्राफ्ट द्वारा उपरोक्त क्रम संख्या 6 के ब्यौरों के संदर्भ में स्थापना के भविष्य निधि को मॉग ड्राफ्ट द्वारा।

सदस्य के वर्तमान स्थापना में खाता कार्ड संख्या ————————में पूर्ववर्ती स्थापना के खाता कार्ड संख्या में अन्तरण प्रविष्टियों द्वारा।

पी0 आई0 संख्या लेखा सहायक लेखपाल लेखाधिकारी मुख्य वित्त नियन्त्रक

नामावली संख्या द्वारा किया गया भुगतान चैक संख्या————————तिथि ————————

लेखा सहायक लेखापाल लेखा अधिकारी मुख्य वित्त नियन्त्रक

प्ररूप ग

[(देखिए नियम 18(1)]

हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण कर्मचारी भविष्य-निधि नियम, 2001, के अधीन नामांकन तथा घोषणा प्ररूप

1. नाम (बड़े अक्षरों में) :
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. लिंग :
5. वैवाहिक हैसियत :
6. खाता संख्या :
7. पता :- :

स्थाई :

अस्थाई :

मैं इसके द्वारा व्यक्ति (व्यक्तियों) का नामांकन करता हूँ तथा मेरे द्वारा पूर्व किया गया नामांकन रद्द करता हूँ तथा मेरी मृत्यु की दशा में कर्मचारी भविष्य निधि में मेरे खाते में जमा राशि प्राप्त करने के लिए नीचे उल्लिखित व्यक्ति (व्यक्तियों) का नामांकन करता हूँ।

नामनिर्देशिती/ नामनिर्देशितों के नाम	पता	सदस्य के साथ नामनिर्देशितों का सम्बन्ध	जन्म तिथि	प्रत्येक नामनिर्देशिती को भविष्य निधि में से अदा की जाने वाली संचयन हिस्से की कुल राशि	यदि नामानिर्देशिती अव्यस्क है तो संरक्षक का नाम तथा सम्बन्ध तथा पता जो नामनिर्देशिती की अव्यस्कता के दौरान राशि प्राप्त करता है
1	2	3	4	5	6

(1) प्रमाणात किया जाता है कि हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण कर्मचारी भविष्य निधि नियम, 2001, के नियम 2 (च) में यथा परिभाषित मेरा कोई परिवार नहीं है और इसके पश्चात् यदि मेरा कोई परिवार होता है तो उपरोक्त नामांकन रद्द समझा जाएगा।

(2) प्रमाणित किया जाता है कि मेरे पिता/माता मुझ पर आश्रित हैं।

अभिदाता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे की निशान

प्ररूप घ

[(देखिए नियम 19 (1)]

हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण कर्मचारी भविष्य-निधि नियम, 2001, के अधीन हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को जीवन बीमा पालिसी को भविष्य निधि जमा खाता से अधिक व्यवस्था करने के लिए आवेदन-पत्र।

सेवा में

मुख्य प्रशासक,
हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण,
पंचकूला।

मैं -----पुत्र/पुत्री/पत्नी----(नाम बड़े अक्षरों में) का -----कर्मचारी -----(स्थापना का नाम) मुख्य प्रशासक को प्राधिकृत करता हूँ :

(i) अपने भविष्य निधि खाता संख्या ----से राशि रुपये ------ (---------रुपये) निकलवाने और उसे भारतीय जीवन बीमा निगम को अपनी जीवन बीमा पालिसी का सम्बन्ध में प्रारम्भिक प्रीमियम/प्रस्तावित जीवन बीमा जिसका ब्यौरा इसमें दिया गया है को भेजने के लिए।

(ii) मेरी जीवन बीमा पालिसी, जिसके ब्यौरे यहां दिए गए हैं के सम्बन्ध में प्रीमियम के लिए जीवन बीमा निगम को, प्रत्येक बार जब प्रीमियम भुगतान के लिए देय हो जाता है तो मेरे भविष्य -निधि खाता संख्या -----में से -------रुपए (-------रुपए) की कालिक राशि, ताकि ऐसी अदायगियां अनुज्ञात समय के भीतर उक्त निगम को पहुँच जाए, निकलवाने के लिए।

(iii) उक्त जीवन पालिसी को समादत में परिवर्तित करने के लिए जबकि मेरे अपने अंशदान से सम्बन्धित मेरे भविष्य-निधि में किसी प्रीमियम का भुगतान करने के लिए अप्रर्याप्त होता है, जब तक कि आगे के प्रीमियम का भुगतान मेरे द्वारा भारतीय जीवन बीमां निगम को नहीं कर दिया जाता और मुख्य प्रशासक, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण को इसकी सूचना नहीं दी जाती।

(iv) यदि कोई प्रीमियम समय पर उक्त निगम को नहीं भेजा जाता है तो मेरे भविष्य निधि खातों से मेरे अपने अंशदान में से विलम्ब फीस तथा/या ब्याज का भुगतान करने के लिए ।

2. (i) उक्त पैरा 1 (ii) में प्राधिकार केवल तभी प्रभावी होगा जब सम्चक् रूप से समनुदेशित मेरी जीवन बीमा पालिसी उक्त निगम की किताबों में समनुदेशन के उचित रजिस्ट्रीकरण के बाद मुख्य प्रशासक द्वारा प्राप्त कर ली जाती है।

(ii) उपरोक्त प्राधिकार तत्पश्चात् उस समय तक जब तक मैं निधि का सदस्य रहता हूँ और निधि में मेरे अपने हिस्से के रूप में मेरे जमा खाता में प्रर्याप्त संचयन है या जब तक पालिसी भुगतान के लिए सम्पन्न नहीं हो जाती जो भी पहले हो प्रभावित रहेगी।

(iii) मुख्य प्रशासक, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति के बिना न तो पालिसी की शर्तें ही बदल जाएगी और न ही पालिसी को किसी और पालिसी के साथ बदला जाएगा।

3. जांच के लिए संलग्न पालिसी जब प्राप्त होगी तब भेज दी जाएगी पहले ही समनुदेशित की गई है तथा मुख्य प्रशासक हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र संख्या ---- दिनांक --------द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।

4. मुझे मालूम है कि पालिसी उक्त निगम की निधि में से प्रथम प्रेषण होने की तिथि के छः मास के भीतर प्रतिभू के रूप में समनुदेशित की जानी है और उक्त निगम की किताब में समनुदेशित के पंजीकरण के बाद मुख्य प्रशासक, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण को भेजी जाती है।

5. मैं घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मैं निधि का पिछले दो वर्षों की अनधिक अवधि से सदस्य हूँ जोकि निधि से बीमा पालिसी का वित्त प्रबन्ध करने के लिए न्यूनतम अवधि है।

(ख) मेरे कर्मचारी भविष्य-निधि खाता में (मेरा अपना अंश) दिनांक --------को --------रुपये है जोकि जीवन बीमा निगम को दो वर्षों के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त है।

(ग) निधि में मेरा वार्षिक अंशदान रुपये --------है जोकि मेरे वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है।

(घ) मैं उसी व्यक्ति का, जो भविष्य निधि के लिए नामांकित है, प्रस्ताव करता हूँ।

6. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि पालिसी किसी ऋणभारों से मुक्त है और पालिसी के विवरण/प्रस्ताव, जो यहां दिए गए हैं, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार ठीक हैं।

7. पालिसी/प्रस्ताव के ब्यौरे :-

(i) जीवन बीमा निगम के शाखा कार्यालय या इकाई का पता जहां पालिसी खाते का रख-रखाव ।

(ii) पालिसी/प्रस्ताव (संख्या तथा तिथि) ।

(iii) सुनिश्चित की गई राशि/सुनिश्चित किया जाने वाला प्रस्ताव ।

(iv) पालिसी को खरीदने की संभावित तिथि ।

(v) क्या प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है और यदि हाँ, किस तिथि तक प्रथम प्रीमियम किया जाना है ।

(vi) पालिसी की लागत (पालिसी की एक मुश्त-अदायगी की दशा में)।

(vii) वार्षिक प्रीमियम राशि।

(viii) प्रीमियम के भुगतान के लिए देय तिथि (तिथियां)।

(ix) अन्तिम प्रीमियम के भुगतान की तिथि।

(x) क्या आयु स्वीकार कर ली गई है यदि नहीं तो प्रस्तुत किए गए प्रमाण का स्वरूप बताएं।

(xi) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 39 के अधीन नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) का नाम।

(xii) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), की धारा 39 के अधीन अल्पवस्क नामनिर्देशिती के सम्बन्ध मे यदि कोई हो, नियुक्त संरक्षक।

(xiii) हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण को पहले ही समनुदेशित किसी पूर्व पालिसी के ब्यौरे या "प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अपने भविष्य-निधि खाते से कोई भी पूर्व राशि वित्त प्रबन्ध करने के लिए पहले नहीं निकलवाई है।"

(xiv) टिप्पणियां

दिनांक

सदस्य के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्ररूप मेरे सामने -----(सदस्य का नाम) --------खाता संख्या --------नियोजित --------(स्थापना का नाम) द्वारा हस्ताक्षरित/अंगूठे का निशान लगाया गया है।

नियोक्ता या उसने प्राधिकृत कर्मचारी के हस्ताक्षर

पदनाम---------

स्थापना का कोड संख्या ------

दिनांक

मोहर सहित स्थापना का नाम ---------

तथा पता

(लेखा शाखा मुख्यालय प्रयोग के लिए)

कृपया अभिदाता के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना दे :—

नूतन 12 महीनों की औसतन वार्षिक अंशदान के आधार पर (केवल कर्मचारी का अंश)	कुल अंशदान केवल कर्मचारी का अंश तिथि----	क्या कोई अन्य अग्रिम पहले प्रदान किया गया है यदि हां तो पैसे निकलवाने की तिथि. वर्णित की जाए	क्या अभिदाता ने दो वर्ष के लिए अंशदान किया है
1	2	3	4

उक्त मामलों की हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण कर्मचारी भविष्य निधि नियम, 2001, के उपबन्ध के अधीन जांच की गई है। रुपये ----- (रुपये --------) की राशि का भुगतान कर दिया जाए।

लेखा सहायक लेखापाल लेखा अधिकारी मुख्य वित्त नियन्त्रक

प्ररूप ''ङ''

[(देखिए नियम 24 (1) तथा (30)]

हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण कर्मचारी भविष्य-निधि नियम, 2001, के अधीन हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को निधि में से अग्रिम हेतु प्रार्थना-पत्र।

जिसके लिए अग्रिम अपेक्षित है :

अपेक्षित अग्रिम राशि रुपए शब्दों में :

1. पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) :
2. पिता/पति का नाम :
3. स्थापना का नाम तथा पता जिसमें सदस्य नियुक्त हैं :
4. भविष्य-निधि खाता संख्या :

5. मासिक मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता : मूल वेतन + :

महंगाई भत्ता = :

: कुल जोड़ :

6. सदस्य का पूरा डाक पता :

7. प्रेषण का ढंग :

पिन :

(क) एजैंसी के माध्यम से स्थान/मकान/फ्लैट खरीदने या निर्माण हेतु या मकान ऋण वापिस करने के प्रयोजन के लिए अग्रिम की दशा में बताईए (i) चैक किसके पक्ष में होना चाहिए; और :

(ii) पूरा पता :

दूसरे मामलों में निम्नलिखित में से किसी एक पर कोष्टक में चिक लगाकर :

(ख) प्रापक खाते का चैक नियोक्ता के माध्यम से क्रम संख्या में दिए गये पते पर :

(ग) बैंक खाता संख्या ------में जमा करवा कर बैंक का नाम ------स्थान -----(पूरा डाक पता)

(घ) मेरे खर्च पर मनीआर्डर द्वारा (क्रम संख्या 6 में दिये गये पते पर)

मैं घोषणा करता हूँ कि अग्रिम मुझे स्वयं की शादी पुत्र/पुत्री/भाई/बहन श्री/कुमारी----------आयु---------की दिनांक----------की----------स्थान----------होने वाली शादी के खर्च के लिए अपेक्षित है।

दिनांक पता

मैं घोषित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी सर्वोतम जानकारी में सत्य है और मैं योजना के अधीन अग्रिम देने की शर्तों का पालन करूंगा और मेरे आवेदन पत्र के साथ प्रमाम-पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत/संलग्न है।

सदस्य के हस्ताक्षर अथवा दायें/बायें हाथ के अंगूठे का निशान

यदि अग्रिम शादी के लिए लागू न हो तो काट दें।

(अग्रिम प्राप्ति रसीद)

(केवल उपरोक्त 7 (क) या (ख) या (ग) के सन्दर्भ में दिया जायेगा) चण्डीगढ़/उप-क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यालय भारसाधक द्वारा रखे गए भविष्य-निधि खाते से राशि ---------रुपये (----------रुपये) प्राप्त की।

एक रुपये की रसीदी टिकट लगाएं

मुख्यालय हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा भरने के लिए

सदस्य के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान

प्ररूप-च

[(देखिए नियम 38 (7)]

हरियाणा नगरीय विकास् प्राधिकरण कर्मचारी भविष्य -निधि नियम, 2001, के अधीन यह प्ररूप भविष्य निधि का दावा करते समय कर्मचारी भविष्य निधि के व्यस्क सदस्य द्वारा प्रयोग किया जाए।

1. सदस्य का नाम (बड़े अक्षरों में) :
2. पिता का नाम अथवा किसी मामले में (पति का नाम) :
3. स्थापना का नाम तथा पता जिसमें सदस्य अन्तिम बार नियुक्त किया गया था :
4. खाता संख्या एफ0 एन0/एच0 आर0 :
5. नौकरी छोड़ने की तिथि :
6. नौकरी छोड़ने का कारण :
7. पूरा डाक पता (बड़े अक्षरों में) :

   श्री/श्रीमती/कुमारी/सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री :
8. प्रेषण का ढंग : पिन संख्या------

   वांछित किसी एक कोष्टक में टिक लगाएं

   (क) मेरे खर्च से डाक मनीआर्डर द्वारा मद संख्या 7 में दिये गये पदों पर :

   बचत बैंक खाता संख्या :

   (ख) मुझे सूचित करते हुए मेरे बचत बैंक संख्या में जमा हेतु रेखांकित चैक सीधे भेज कर :

   (ग) मुझे सूचित करते हुए मेरे बचत बैंक खाते (अनुसूचित बैंक/डाकघर) में मांग ड्रॉफ्ट द्वारा सीधे मुझे सूचित करें :

शाखा का पूरा पता

अग्रिम प्राप्ति रसीद नीचे दी गई है

महीना	अंशदान	अन्तराल की अवधि, यदि कोई हो	महीना अंशदान	अन्तराल की अवधि, यदि कोई हो

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी जानकारी में विवरण सत्य है। स्थापना में प्रवेश की तिथि------ नौकरी छोड़ने की तिथि -------
चालू वर्ष का (प्ररूप 3) (क) भेज/संलग्न कर दिया गया है/संलग्न है
प्रार्थी ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए/अंगूठा लगाया है।

नियोक्ता या प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर — सदस्य के हस्ताक्षर या बायें/दायें अंगूठे का निशान

दिनांक — पदनाम तथा मोहर

(नौकरी में न होने की घोषणा)

मैं घोषणा करता हूँ कि भविष्य-निधि राशि की अन्तिम वापसी हेतु आवेदन की तिथि में लगातार दो महीने की अवधि में किसी ऐसे उद्योग/स्थापना में जिसमें भविष्य निधि अधिनियम लागू हो, काम नहीं किया है।

दिनांक :

सदस्य के हस्ताक्षर अथवा बायें/दायें अंगूठे का निशान

अग्रिम प्राप्ति रसीद

(केवल उपरोक्त 8 (ख) की दशा में जाये)

अपने भविष्य निधि खाते के निपटाने पर मुख्य प्रशासक हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण कार्यालय से .....रुपये (केवल .....रुपये) अपने बचत बैंक खाते में प्राप्त हुए मुख्यालय, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा भरा जाना है।

एक रुपये की रसीदी टिकट लगाएं

सदस्य के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

भास्कर चटर्जी,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण

दिनांक 22 अक्तूबर, 2001

संख्या 28830.—हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 (1977 का 13), की धारा 11 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 54 के खण्ड (ग) के उपबन्धों के अनुसरण में तथा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण, इसके द्वारा अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों के पेंशन अनुदान को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और लागू करना

1. (1) ये विनियम हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण कर्मचारी पेन्शन विनियम, 2001 कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

(3) ये हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 (1977 का 13), के अधीन स्थापित तथा गठित हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के ऐसे सभी कर्मचारियों को लागू होंगे जो इन विनियमों के लागू होने पर या उसके पश्चात् सेवा में प्रवेश करते हैं और ऐसे विद्यमान सेवारत कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जो इन विनियमों का विकल्प देते हैं। बाद के प्रवर्गों के कर्मचारियों को अपना विकल्प प्ररूप क में, जो इन विनियमों के साथ संलग्न है, इन विनियमों के लागू होने की तिथि से तीन मास के भीतर देना होगा।

(4) ऐसे कर्मचारी, जो इन विनियमों का विकल्प नहीं देते, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण कर्मचारी भविष्य निधि नियम, 2001, में अन्तर्विष्ट उपबन्धों द्वारा शासित होंगे।

परिभाषाएं

2. इन विनियमों में जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्राय है, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की पेन्शन स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी। इन विनियमों के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण का मुख्य प्रशासक होगा;

(ख) "कर्मचारी" से अभिप्राय है, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण का नियमित कर्मचारी ;

(ग) "पेन्शन" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्यार्थ पंजाब सिविल सेवा जिल्द-II में यथा-परिभाषित पेन्शन।

निधि की स्थापना

3. (1) पेंशन के भुगतान के प्रयोजन के लिए निधि अर्थात् हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण कर्मचारी पेंशन निधि (जिसे, इसमें इसके बाद, पेंशन निधि कहा गया है), की स्थापना की जाएगी इसमें हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण कर्मचारी भविष्य निधि नियम 2001, में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार मासिक आधार पर हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले नियोक्ता के अंशदान सहित राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि को ब्याज सहित नियोक्ता की ओर से अभिदायी भविष्य निधि की कुल संचित राशि शामिल होगी।

(2) पेंशन निधि, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के मुख्यालय पर बैंक में रखी जाएगी। अनुज्ञात ब्याज की दर कुल संचयों पर बैंक द्वारा नियत ब्याज की अधिकतम दर होगी तथा इस प्रकार से अर्जित ब्याज भी पेंशन निधि का अभिन्न होगा।

निधि का प्रचालन

4. पेंशन निधि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासित की जाएगी।

लेखों का रख-रखाव

5. पेन्शन निधि के लेखे हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के मुख्यालय पर रखे जाएंगे। बैंक जिसके माध्यम से पेन्शन संवितरित की जाती है समय-समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार लेखे रखने के लिए अपेक्षित भी होंगे।

पेन्शन का देना

6. हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को पेन्शन देने के प्रयोजन के लिए, हरियाणा राज्यार्थ पंजाब सिविल सेवा नियम, जिल्द-II में दिए गए पेंशन को विनियमित करने वाले नियम, कर्मचारियों को यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे और इस प्रयोजन के लिए इन नियमों में अन्यथा अपरिभाषित शब्दों तथा पदों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें हरियाणा राज्यार्थ पंजाब सिविल सेवा नियम, जिल्द-I, भाग-I में दिये गये हैं, इस प्रयोजन के लिए यथोक्त नियमों में "सरकार" और "सरकारी कर्मचारी" शब्द जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर क्रमशः "हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण" तथा "हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के कर्मचारी" शब्द रखे गए समझे जाएंगे और उपरोक्त नियमों में "महा लेखाकार हरियाणा" शब्द जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर, "मुख्य नियन्त्रक वित्त हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण" शब्द रखे गए समझे जाएंगे। हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए गए अनुदेश इस प्रयोजन के लिए लागू भी होंगे।

पेन्शन भुगतान आदेश

7. हरियाणा राज्यार्थ, पंजाब सिविल सेवा नियम जिल्द-II (आवश्यक संशोधन सहित) में दिए गए यथा उपबंधित प्ररूप तथा रीति में कर्मचारियों के पेन्शन पेपर पूर्ण करने के पश्चात् अर्हक सेवा और परिलब्धियों के सत्यापन के लिए उनको मुख्य नियन्त्रक वित्त, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण को भेजा जाएगा। जिसके आधार पर, सक्षम प्राधिकारी की सहमति से मुख्य नियन्त्रक वित्त, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा पेन्शन भुगतान आदेश जारी किया जाएगा। यह, बैंक को प्राधिकृत करते हुए पेंशन भुगतान आदेश की एक प्रति भी जारी करेगा कि जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षित आदेश या अनुदेश जारी नहीं किए जाते नियमित रूप से प्रतिमास पेंशन भोगी को पेंशन का भुगतान करेगा।

खजाना नियमों का लागू होना

8. पेंशन का भुगतान करते समय, पेंशन भुगतान प्राधिकारी पंजाब खजाना नियमों के अधीन जारी किए गए सहायक खजाना नियमों में दिए हुए नियम 4.92 से 4.106 से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा, जो यथावश्यक परिवर्तनों सहित हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के पेंशन भोगियों पर लागू होंगे।

प्ररूप क

[(देखिए विनियम 1 (3)]

हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण

1. मैं, ..., इसके द्वारा, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण कर्मचारी पेंशन विनियम, 2001, के लिए विकल्प देता हूं। यह विकल्प निर्णायक, अन्तिम तथा अपरिवर्तनीय होगा।

2. मैं अभिदायी भविष्य निधि से नियोक्ता के अंशदान में से वापस किए जाने वाला/न वापस किए जाने वाला लिया गया अग्रिम, यदि कोई है, एक मुश्त या ऐसी किस्तों में, जो प्राधिकरण द्वारा नियत की जाएं, ब्याज सहित वापस भुगतान करने का वचन देता हूं।

कर्मचारी के हस्ताक्षर .....

कर्मचारी का नाम .....

पद नाम .....

कार्यालय .....

अभिदायी भविष्य निधि लेखा संख्या .....

धीरपाल सिंह,
अध्यक्ष,
हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण।

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

दिनांक 22 अक्तूबर, 2001

संख्या 28830.—हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 (1977 का 13), की धारा 28 तथा धारा 53, की उप-धारा (2) के खण्ड (ड) (28) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि के गठन तथा भुगतान को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और लागू करना

1. (1) ये नियम हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण सामान्य भविष्य निधि नियम, 2001, कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम राजपेज में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

(3) कर्मचारी जो इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप क में इन नियमों के लिए विकल्प देंगे, इन नियमों द्वारा शासित होंगे।

परिभाषाएं

2. इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(1) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्राय है, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि स्वीकृत करने वाला सक्षम अधिकारी। इन नियमों के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण का मुख्य प्रशासक होगा ;

(2) "कर्मचारी" से अभिप्राय है, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के नियमित कर्मचारी ;

(3) "सामान्य भविष्य निधि" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्यार्थ पंजाब सिविल सेवा नियम जिल्द-II यथा परिभाषित सामान्य भविष्य निधि।

निधि की स्थापना। धारा 53(1), (2) (ड) तथा धारा 28

3. (1) सामान्य भविष्य निधि के भुगतान के लिये निधियां अर्थात् हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि (जिन्हें इसमें, इसके बाद, सामान्य भविष्य निधि कहा गया है, की स्थापना की जायेगी। इसमें अधिसूचना की तिथि तक ब्याज सहित कर्मचारियों की ओर से जमा करवाई गई अंशदायी भविष्य निधि में कुल संचित राशि तथा हरियाणा राज्यार्थ पंजाब सिविल सेवा नियम जिल्द II में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार कर्मचारियों के वेतन में से हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा की गई कर्मचारी की मासिक कटौती भी शामिल होगी।

(2) सामान्य भविष्य निधियां, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के मुख्यालय पर बैंक में रखी जायेंगीं। अनुज्ञात ब्याज की दर, बैंक द्वारा नियत ब्याज की अधिकतम दर होगी और इस प्रकार अर्जित ब्याज भी सामान्य भविष्य निधि का अभिन्न भाग होगा।

निधि का प्रचालन। धारा 53(1), (2) (ड) तथा धारा 28

4. (1) सामान्य भविष्य निधि, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासित की जायेगी।

(2) सामान्य भविष्य निधि के मद्दे हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को किए जाने वाले सभी भुगतान सामान्य भविष्य निधि में से निकाले जाएंगे।

लेखों का बनाये रखना। धारा 53(1), (2) (ड) तथा धारा 28

5. सामान्य भविष्य निधि के लेखे हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के मुख्यालय में रखे जायेंगे। बैंक, जिसके माध्यम से सामान्य भविष्य निधि संवितरित की जाती है, से समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, लेखे रखने की अपेक्षा भी की जायेगी।

सामान्य भविष्य निधि का देना। धारा 53(1), (2) (ड) तथा धारा 28

6. (1) हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि देने के प्रयोजन के लिए, जो हरियाणा राज्यार्थ पंजाब सिविल सेवा नियम जिल्द II में दिए गए हैं, को सामान्य भविष्य निधि विनियमित करने वाले ऐसे नियम कर्मचारियों को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे और इस प्रयोजन के लिए इन नियमों में अन्यथा अपरिभाषित निबन्धों तथा अभिव्यक्तियों वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः पंजाब सिविल सेवा नियम जिल्द II में उन्हें दिया गया है। इस प्रयोजन के लिये "सरकार" तथा "सरकारी कर्मचारी" शब्द जहां कहीं भी वे इन नियमों में आयें, शब्दों के स्थान पर, क्रमशः "हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण" तथा "हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के कर्मचारी" शब्द रखे गए समझे जायेंगे तथा "महालेखाकार हरियाणा" उपर्युक्त नियमों जहां कहीं भी आयें शब्दों के स्थान पर, "मुख्य वित्त नियंत्रक हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण" शब्द रखे गए समझे जायेंगे। इस सम्बन्ध में हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेश, इस प्रयोजन के लिये भी लागू होंगे।

(2) हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण कर्मचारी पेंशन विनियम, 2001, के लागू होने पर कर्मचारी जो पेंशन स्कीम के लिये विकल्प देते हैं को, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या आबंटित होगी। कर्मचारी का अभिदायी भविष्य निधि में अंशदान का भाग तथा उस पर उपगत ब्याज सहित, उन कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के लेखे में जमा हो जायेगा और वे सामान्य भविष्य निधि नियमों और हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये अनुदेशों द्वारा शासित होंगे।

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये हरियाणा राज्यार्थ पंजाब सिविल सेवा नियम, जिल्द II के अध्याय XIII में दिये गये नियम, आवश्यक परिवर्तन के साथ हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों पर जो इन नियमों का विकल्प देते हैं, लागू होंगे।

प्ररूप क

[(देखिए विनियम 1 (3)]

हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण

मैं, ..., इसके द्वारा, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण सामान्य भविष्य निधि नियम, 2001, के लिए विकल्प देता हूं/देती हूं। विकल्प निश्चायक, अन्तिम तथा अपरिवर्तनीय है।

कर्मचारी के हस्ताक्षर .....

कर्मचारी का नाम .....

पद नाम .....

कार्यालय .....

अंशदायी भविष्य-निधि लेखा संख्या .....

भास्कर चटर्जी,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

The 22nd October, 2001

No. 28830.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with clause (m) of Sub-section (2) of Section 53 of the Haryana Urban Development Authority Act, 1977 (13 of 1977) and all other powers enabling him in this behalf the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the constitution and conditions of provident fund for the employees of the Haryana Urban Development Authority, namely :—

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Haryana Urban Development Authority Employees Provident Fund Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions

2. In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) "apprentice" means a person who, according to standing orders as applicable to the Haryana Urban Development Authority employees, is an apprentice or any other person who is employed by Haryana Urban Development Authority in that capacity and includes a trainee;

(b) "competent authority" means the authority competent to sanction provident fund to the employees of Haryana Urban Development Authority. The competent authority for the purpose of these rules shall be the Chief Administrator of Haryana Urban Development Authority;

(c) "children" means legitimate children and includes adopted children, if the authority is satisfied that under the personal law, adoption of child is legally recognised.

(d) "continuous service" means uninterrupted service under Haryana Urban Development Authority and include service which is interrupted by sickness, accident out of and in the course of employment, authorised leave, strike which is not illegal or cessation of work not due to the employee's fault.

Note—Interruptions due to sickness or accident out of and in the course of employment shall be as certified by a competent authority designated by the Haryana Urban Development Authority for the purpose.

(e) "emoluments" shall mean to include basic wages, pay and dearness allowance;

(f) "family" means :

(a) Wife;

(b) Husband;

(c) Minor Son;

(d) Minor unmarried daughter and minor legally adopted son or daughter before the date of retirement;

(e) Widow/Widower on the date of remarriage or death whichever is earlier;

(f) son/unmarried daughter until they attained the age of 25 years or able to earn whichever is earlier;

(g) legally separated husband/wife

Explanation—"children" includes a child born after the death of employee.

(g) "financial year" means the year commencing on the first day of April and ending on 31st March of the following year,

(h) "Foreign Service" means Service in respect of which an employee of Haryana Urban Development Authority receives his pay and other emoluments, with the sanction of Haryana Urban Development Authority from another employer.

(i) "form" means form appended to these rules;

(h) "month" means a "calendar month".

(k) "nominee" or "nominees" means —

(i) in the event of an employee having a family, any person or persons nominated in writing by the member from amongst the family members; and

(ii) in the event of a member not having a family any other person or persons, nominated in writing by the member in accordance with these rules to receive the amount that may become payable from the Fund to the member in the event of the member's death before withdrawing his due accumulations from the Fund;

(l) "sevice" means the service of the subscriber from the date of joining into the service of the Haryana Urban Development Authority.

(m) words and expressions used herein but not defined, shall have the meanings respectively assigned to them in the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (Act 19 of 1952) or the scheme framed thereunder and the Haryana Urban Development Authority Act, 1977 (13 of 1977).

Common fund

3. There shall be a single provident fund for all the units/establishment of Haryana Urban Development Authority as per these rules.

Classes of employees entitled and required to join fund

4. (1) Every employee employed in or in connection with the work establishment shall be entitled and required to become a member of the Fund from the very first day of joining into the service of Haryana Urban Development Authority as per provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) and as amended from time to time except the following :—

(i) personnel of State & Central Government departments or any other organisation working with Haryana Urban Development Authority on foreign service term or on loan;

(ii) pensioner and superannuated persons of State & Central Government Departments or Public Sector Undertakings re-employed by Haryana Urban Development Authority.

(2) Every employee who has previously been a member of a provident fund under the Central or State Government Public Undertakings under the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), or a scheme exempted under the said Act or any other provident fund exempted under the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961), shall be entitled and required to become a member of the fund from the date of joining the Haryana Urban Development Authority :—

Provided that—

(i) the entire provident fund accumulation to the credit of the employee in respect to his previous membership are transferred to the Fund;

(ii) in the event of such a transfer, the amount so received shall be governed by these Rules and that neither the Haryana Urban Development Authority nor the Fund shall be under any liability, whatsoever;

(iii) the details of all loans taken and withdrawals made by the member from the transferred amount, alongwith details of recovery made or to be made, are sent to this Fund with the transfer of the previous provident fund accumulations; and

(iv) the details of any insurance policy, etc. assigned to the Fund in consideration of the premium etc. to be paid from the Fund are also sent alongwith the transfer.

(3) Notwithstanding anything contained in clauses (i), (ii), (iii) and (iv) of the provisions to sub-rule (2) above, the Haryana Urban Development Authority at its own discretion may, in exceptional cases, for reasons to be recorded in writing, allow an employee to become a member of the Fund from the date of his appointment : provided that in respect of such an employee, Haryana Urban Development Authority contribution shall start from the date of his appointment in Haryana Urban Development Authority, without having to accept any liability in respect of his previous membership of any provident fund schemes.

(4) In case of transfer of any provident fund accumulations under sub-rule (2) above, any withdrawals made or loan taken by the member shall be recovered from the member's pay, dearness allowance, bonus and other dues, etc. in such a manner as the Haryana Urban Development Authority may decide.

(5) In case of transter of provident fund accumulation under sub-rule (2) above, the member shall reassign to this Fund in accordance with these rules, his life insurance policy, if any assigned to any previous provident fund scheme.

Application forms

5. (1) An employee who shall become a member of the Fund shall apply for provident fund account No. in form 'A'.

(2) An application for the transfer of provident fund accumulations, as required by these rules, shall be made in the form 'B'.

Continuity of membership

6. (1) A member of the Fund shall continue to be a member and shall be treated as such until he withdraws the total payable amounts standing to his credit in the Fund in accordance with these rules.

(2) In case of withdrawal of a member from the Fund, his membership shall be deemed to have been terminated from the date the payment is authorised to him by the competent authority irrespective of the date of claim.

Foreign service on deputation

7. If a member is transferred or deputed to foreign service by Haryana Urban Development Authority or with the concurrence of Haryana Urban Development Authority in India or abroad, he shall continue to be a member of this Fund, as per these rules in the same manner as if he had not so been transferred or deputed and such period of transfer or deputation will count as service rendered under the Haryana Urban Development Authority for the purpose of these rules.

Compulsory contribution by member and Haryana Urban Development Authority

8. (1) The contributions payable by the employer under the scheme shall be at the rate as per provisions in the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), as amended from time to time.

(2) The contribution payable by the employee under the scheme shall be equal to the contribution payable by the employer in respect of such employee :

Provided that in respect of any employee to whom the scheme applies, the contribution payable by him may, if he so desires, be an amount exceeding the rate as per provisions in the Employee's Provident Funds and Micellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), subject to the condition that the employer shall not be under an obligation to pay any contribution over and above his contribution payable under the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952).

(3) While a member is in foreign service and receives his pay from the foregin employer it will be the responsibility of the member notwithstanding, any terms and conditions of deputation agreed to between Haryana Urban Development Authority and/or foreign employer and/or the member, to remit his contribution and foreign employer's contribution to the competent authority :

Provided that the competent authority may accept these remittances direct from the foreign employer but without prejudice to the member's responsibility as aforesaid :

Provided further that in case of default in respect of the contribution payable by the foreign employer the same shall be recoverable by Haryana Urban Development Authority from the member's salary and bonus, etc. at the earliest available opportunity.

(4) Haryana Urban Development Authority shall within fifteen days of each wage period, deposit its share of contribution to the Fund alongwith share of contribution of the employee.

(5) Haryana Urban Development Authority contribution for a member during his periods of leave shall be based on his leave pay and dearness allowance and no contribution shall be payable by Haryana Urban Development Authority for any periods of leave or absence without pay.

Voluntary contributions by member

9. (1) In addition to the compulsory contribution a member at his option may be allowed to subscribe voluntarily a fixed sum to the Fund in whole rupees, and may request competent authority to deduct the said sum for credit to his account in the Fund, subject to the condition that the employer shall not be under an obligation to pay any contribution over and above his contribution payable under these rules.

(2) The option to make voluntary contribution and regarding the rate of contribution shall prevail throughout unless the member has given one month's notice to change the rate of contribution provided that such a change shall be permitted only once in the month of march during a financial year.

(3) The voluntary contribution shall not earn any contribution from Haryana Urban Development Authority but will be allowed to earn only the interest at the prevailing rate.

Deposits in fund

10. The Fund shall consist of—

(a) contributions by the members out of their salaries, wages, other emoluments, etc. as provided in these rules;

(b) contributions by Haryana Urban Development Authority as provided in these rules;

(c) any interest, profits and dividends, which the investment of the money forming the Fund from time to time, may yield;

(d) any balance transferred from other provident funds, where such transfers are permitted by these rules;

(e) any sums appropriated to the Fund under these rules;

(f) any sums transferred from the forfeiture account or any other account of the Fund under these rules.

Heads of account

11. The following accounts, interalia, shall be maintained in the books of Fund :—

(a) Member's "Individual Accounts" showing—

(i) the member's contribution as per these rules;

(ii) Haryana Urban Development Authority contribution as per these rules;

(iii) interest on Investments;

(iv) withdrawals and loans; and

(v) interest on withdrawals and loans.

(b) A "Revenue Account" showing the credits on account of interest from the investments, and other incomes actually received and net profits accrued upto 31st March of each year and debits on account of any losses, proper charges or expenses as per these rules.

(c) the "Forfeiture Account" showing the amount forfeited to the Fund in accordance with these rules.

(d) the "Investment Account" showing the particulars of investments made by the Fund.

(e) "unclaimed Deposits Account" showing the unclaimed deposits of members.

(f) any other account which the competent authority may decide to open for the correct exhibition of the transactions of the Fund.

Banking and investment of fund's money

12. (1) The competent authority shall from time to time deposit all money received by him on behalf of the Fund and not immediately required, into a post office savings Bank or State Bank of India or such other nationalised bank or banks as may from time to time be determined, to the credit of the accounts opened for the purpose. The deposits with the banks may according to the requirements of the Fund from time to time be in current account, savings bank account, call deposits, fixed deposits or any other favourable terms offered by the approved banks.

(b) All moneys to the credits of such accounts shall be dealt with in accordance with these rules.

(c) The moneys of the Fund not immediately required for the purpose of the Fund, shall be invested expeditiously by the Competent Authority in accordance with these rules.

Withdrawal from Fund

13. The competent authority may from time to time authorise withdrawals from the Fund of such sum or sums as may be required for the purpose of the Fund.

Audit

14. (1) Haryana Urban Development Authority, shall appoint a Chartered Accountant or a firm of Chartered Accountants in Practice and have the accounts of the Fund audited every year.

(2) The cost of such auditing of the Funds shall be borne by Haryana Urban Development Authority.

(3) The employer shall maintain the accounts of the provident fund in such manner and submit returns to the Regional Provident Fund Commissioner as the Central Government may direct from time to time.

(4) The employer shall furnish to the Regional Provident Fund Commissioner such accounts relating to the provident fund of the establishment which shall include annual audited statement of account as required by him.

Annual report of fund

15. Haryana Urban Development Authority shall prepare each year not later than a date to be fixed by competent authority, a report on the administration of the Fund, during the previous financial year together with a copy of the auditor's report and submit the same to competent authority for approval.

Interest to members on contributions

16. As on 31 March of each year, the account of the Fund shall be closed and the rate of interest on members account shall be credited as under :—

(1) The competent authority shall credit to the account of every member interest at such rate as may be allowed by Regional Provident Fund Commissioner to its subscribers from time to time.

(2) (a) Interest shall be credited to the member's account on monthly rests basis with effect from the last day in each year in the following manner :—

(i) on the amount at the credit of a member on the last day of the preceding year, less any sums withdrawn during the current year interest for twelve months ;

(ii) on sums withdrawn during the current year minus interest from the beginning of the current year up to the last day of the month preceding the month of withdrawal ;

(iii) on all the sums credited to the member's account after the last day of the preceding year minus interest from the first day of the month succeeding the month of credit to the end of the current year ;

(iv) the total amount of interest shall be rounded to the nearest whole rupee (fifty paisa counting as the next higher rupee).

(b) In the case of claim for refund, interest shall be payable up to the end of the month preceding the date on which the final payment is authorised irrespective of the date of receipt of the claim from the claimant concerned :

Provided that interest up to and for the current month shall be payable on the claims which are authorised on or after the 25th day of a particular month alongwith actual payment after the end of the current month :

Provided further that the rate of interest to be allowed on claims for refunds for the broken currency period shall be the rate fixed for the financial year in which the refund is authorised.

Furnishing of account to each member

17. As soon as possible, after the close of the account of financial year, the competent authority shall furnish to each member a statement of the account as standing to his credit in the books of the Fund as at the date of balance sheet showing therein the opening balance of the year separately in respect of Haryana Urban Development Authority, contribution and the member's contribution. Contribution by Haryana Urban Development Authority and the member during the year alongwith the interest earned thereon separately; details of any loans taken and deductions made and closing balance at the end of the year. Such statement shall be accepted as such and binding on the members, save that if any manifest error is found therein and notified by the member to the competent authority in writing within six months of the receipt of the statement.

Nominations

18. (1) Every member shall make a declaration and nomination in form C, conferring the right to receive the amount that may stand to his credit in the Fund in the event of his death before the amount standing to his credit has become payable, or where the amount has become payable before payment has been made.

(2) A member may in his nomination distribute the amount that may stand to his credit in the Fund amongst his nominees at his own discretion.

(3) If member has family at the time of making a nomination, the nomination shall be in favour of one or more persons belonging to his family. Any nomination made by such member in favour of a person not belonging to his family shall be invalid.

(4) If at the time of making a nomination, the member has no family, the nomination may be in favour of any person or persons, but if the member subsequently acquires a family, such nomination shall forthwith be deemed to be invalid and the member shall make a fresh nomination in favour of one or more persons belonging to his family.

(5) Where the nomination is wholly or partly in favour of a minor, the member, may, for the purpose of rule appoint a major person or his family as defined in clause (f) of rule 2, to be the guardian of the minor nominee in the event of the Member predeceasing the nominee and the guardian so appointed; provided that where there is no major persons in the family, the member may, at his discretion appoint any other person to be a guardian of the nominee.

(6) A nomination made under sub-rule (1) may at any time be modified by a member after giving a written notice of his intention of doing so, If the nominee predeceases the member, the interest of the nominee shall revert to the member who may make a fresh nomination in respect of such interest.

(7) A nomination or its modification shall take effect to the extent that it is valid on the date on which it is received by the competent authority.

(8) No nomination shall be accepted for registration after the death of the member.

(9) A member may provide in a nomination-

(i) that, in the event of any specified nominee predeceasing the member, the right conferred upon that nominee shall pass on to such other person or persons in such proportions as specified in the nominations; and

(ii) that the nomination shall become invalid in the event of the happening of a contingency specified therein : Provided that the member shall provide alternate nominee or nominees for the situation arising out of such contigenices.

(10) The signature of the member in the nomination shall be attested by his head of office.

(11) The nominations shall be registered in the books under advice to the member.

Withdrawals from fund for payment towards insurance policies

19. (1) Where a member desired that premium due on a policy of life insurance taken by him on his own life should be financed from his provident fund account, he may apply in form "D"

(2) On receipt of such application, the competent authority may make the payment on behalf of the member to the Life Insurance Corporation of India towards premium due on his policy : Provided that no such payment shall be made unless the premium is payable yearly.

(3) Any payment made under sub-rule (2) shall be made out of and debited to the member's own contribution with interest thereon standing to his credit in the Fund.

(4) No payment shall be made under the sub-rule (2) unless the member's own contribution in his provident fund Account with interest thereon is sufficient to pay the premium; and where the payment is to be made on the first premium, sufficient to pay the premium for two years.

(5) No payment shall be made towards a policy unless it is legally assignable by the member to the competent authority.

(6) The competent authority shall before making payment in respect of existing policies, satisfy itself by reference to the Life Insurance Corporation that no prior assignment of the policy exist and the policy is free from all encumbrances.

(7) No education endowment policy or marriage endowment policy shall be financed from the Fund if such policy is due for payment in whole or in part before the member attains the age of 55 years.

Conversion of policy into a paid up one and payment of late fee etc.

20. Where a policy of life insurance of a member is financed from his provident fund account. the competent authority may—

(a) convert the insurance policy into a paid up one when the credit in his provident fund on account his share becomes inadequate for the payment of any premium;

(b) pay late fees and interest out of the member's own contribution in his provident fund account if any premium cannot be remitted to the Life Insurance Corporation in time because of delay in sending it to the competent authority or for any other reasons for which the member or his employer may be responsible.

Assignment of policies to fund

21. (1) The policy shall within six months of the first payment under rule 20 be assigned by endorsement thereon, to the competent authority and shall be delivered to the competent authority.

(2) Notice of assignment of the policy shall be given by the member of the Life Insurance Corporation and the acknowledgement of the said notice by the corporation shall be sent to the competent authority within three months of the date of assignment.

(3) The terms of the policy shall not be altered nor shall the policy be exchanged for another policy without the prior consent of the competent authority to whom the details to alternation or of the new policy shall be furnished in such form as they may be specified.

(4) If the policy is not assigned and delivered as required under sub-rule (1) or is assigned otherwise than to the competent authority, or is charged or encumbered or lapses, any amount paid from the Fund in respect of such policy shall, with interest thereon at the rate provided in these rules, be repaid by the member forthwith to the Fund. In the event of default, the employer shall, on receipt of such direction as may be issued by the competent authority in this behalf, deduct the amount in lumpsum or in such instalments from the member and pay it to the Fund within such time and in such manner as may be specified by the competent authority. The amount so repaid or recovered shall be credited to the member's account in the Fund.

Bonus on policy to be adjusted against payments made from fund

22. So long as the policy remains assigned to the competent authority, any bonus accruing on it may be drawn by the competent authority and adjusted against the payment made on behalf of the member.

Reassignment of policies.

23. (1) Where the accumulations standing to the credit of the member are withdrawn or when the member repays to the fund the amount of premium paid by the competent authority with interest thereon, the competent authority shall reassign by endorsement thereon the policy to the member together with a signed notice of reassignment, addressed to the Life Insurance Corporation.

(2) If the member dies before the policy has been reassigned under sub-rules (1), the competent authority shall reassign by the endorsement thereon, the policy to the nominee of the member if a valid nomination subsists and if there be no such nominee, to such person as may be legally entitled to receive it together with the signed notice of reassignment addressed to the Life Insurance Corporation.

(3) If a policy matures or otherwise falls due for payment during the currency of its assignment the competent authority shall realise the amount assured together with bonus, if any, accrued thereon, place to the credit of the member the amount so realised, or whole of the amount paid from the Fund in respect of the policy with interest thereon, whichever is less, and refund the balance, if any, to the member.

Withdrawal from fund for purchase of a dwelling house/flat or for construction of house including acquisition of a suitable site for construction of a dwelling house

24. (1) The competent authority, or where so authorised by the competent authority, any officer subordinate to him, may on application from a member in form E subject to the conditions prescribed in this paragraphs, sanction from the amount standing to the credit of the member in the Fund, a withdrawal -

(a) for purchasing a dwelling house/flat, including a flat in a building owned jointly with others (outright or on hire purchase basis), or for constructing a dwelling house including the acquisition of suitable site for the purpose from the Central Government, the State Government, a co-operative society, an institution, a trust, a local body or a Housing Finance Corporation (hereinafter referred to as the "agency/ agencies"); or

(b) for purchasing a dwelling site for the purpose of construction of a dwelling house or a ready-built dwelling house/flat from any individual or for purchasing dwelling house/flat on ownership basis from a promoter governed by the provisions of any Flats or Apartments Ownership Act or by any other anlogous or similar law of the Central Government or the State Government as may be in force in any State or area for the time being and who intends to construct or constructs a dwelling house or block of flats and the member is required to pay to the said promoter in advance for finance the said construction of the house/flat :

Provided that the member has entered into an agreement with the promoter as may be required under the Flats or Apartments Ownership Act or any other analogous or similar law of the Central Government or State Government which may be in force in any State or any area and the said agreement is registered under the Indian Registration Act, 1908 (Act 16 of 1908); or

(c) for the construction of a dwelling house on a site owned by the member or the spouse of the member or jointly by the member and the spouse, or for completing /continuing the construction of a dwelling house alrady commenced by the member or the spouse, on such site [or for purchase of a house/flat in the joint name of the member and the spouse under clauses (a) and (b) above].

Explanation.– (1) In this paragraph, the expression "co-operative society" means a society registered or deemed to be registered under the Co-operative Societies Act, 1912 (2 of 1912) or under any other law for the time being in force in any State relating to co-operative societies.

(2) (a) For the purpose of purchase of a site for construction of a house thereon, the amount of withdrawal shall not exceed the members basic wages and dearness allowance for twenty–four months or the member's own share of contributions, together with the employer's share of contribution, with interest thereon or the actual cost towards the acquisition of the dwelling site, whichever is less.

(b) For the purpose of acquisition of a ready built house/flat or for construction of a house/flat, the withdrawal shall not exceed the member's basic wages and dearness allowance for thirty-six months or the member's own share of contributions, together with the employer's share of contributions, with interest thereon, or the total cost of construction, whichever is less.

(3) (a) No withdrawal under this paragraph shall be granted unless–

(i) the member has completed ten years membership of the Fund;

(ii) the member's own share of contributions with interest thereon in the amount standing to his credit in the Fund is not less than one thousand rupees;

(iii) the dwelling site or the dwelling house/flat or the house under construction is free from encumbrances :

Provided that where a dwelling site or a dwelling house/flat is mortgaged to any of the agencies referred to in clause (a) of sub-rule (1), solely for having obtained funds for the purchase of a dwelling house/flat or for the construction of a dwelling house, including the acquisition of a suitable site for the purpose, such a dwelling site or a dwelling house/flat, as the case may be, shall not be deemed to be an encumbered property :

Provided further that a land acquired on a perpetual lease or a lease for a period of not less than 30 years for constructing of a dwelling house/flat, or a house/flat built on such a leased land, shall also not be deemed to be an encumbered property :

Provided further that where the site of the dwelling house/flat is held in the name of any agency referred to in clause (a) of sub-rule (1) and the allottee is precluded from transferring or otherwise disposing of the house/flat, without the prior approval of such agency, the mere fact that the allottee does not have absolute right of ownership of the house/flat and the site is held in the name of the agency, shall not be a bar to the giving of withdrawal under clause (a) of sub-rule (1), if the other conditions mentioned in this rule are satisfied.

(b) No withdrawal shall be granted for purchasing a share in a joint property or for constructing a house on a site owned jointly except on a site owned jointly with the spouse, subject to the limitation prescribed in sub-rule (2)

(4) (a) where the withdrawal is for the purchase of a dwelling house/flat or a dwelling site from an agency, referred to in clause (a) of sub-rule (1) the payment of withdrawal shall not be made to the member but shall be made direct to the agency, in one or more instalments, as may be authorised by the member.

(b) where the withdrawal is for the construction of a dwelling house, it may be sanctioned in such number of instalments as the compentent authority, or where so authorised by the competent authority, any officer, subordinate to him, thinks fit.

(c) Where the withdrawal is for purchasing a dwelling house/flat on ownership basis from a promoter as referred to in clause (b) of sub-rule (1), the payment of withdrawal shall be made to the member in one or more instalments as may be required to be paid by the said promoter and as authorised by the member.

Explanation. —"Promoter" includes a person who constructs or causes to be constructed a block or building of flats or apartments for the purpose of selling some or all of them to other persons or to a company, co-operative society or other association of persons and his assignees and where the person who builds and the person who sells are different persons, the term "promoter" includes both.

(5) Where a withdrawal is sanctioned for the construction of a dwelling house the construction shall commence within six months of the withdrawal of the first instalment and shall be completed within twelve months of the withdrawal of the final instalments. Where the withdrawal is sanctioned for the purchase of a dwelling house/flat or for the acquisition of a dwelling site, the purchase or acquisition, as the case may be, shall be completed within six months of the withdrawal of the amount :

Provided that this provision shall not be applicable in case of purchase of a dwelling house /flat on hire-purchase basis and in cases where a dwelling site is to be acquired or houses are to be constructed by a co-operative society on behalf of its members with a view of their allotment to the members.

(6) Except in the cases specified in sub-rule (8) and (9) no further withdrawal shall be admissible to a member under this rule.

(7) An additional withdrawal up to twelve months basic wages and dearness allowance or the member's own share of contributions with interest thereon, in the amount standing to his credit in the Fund, whichever is less, may be granted in one instalment only, for additions, substantial alterations or improvements necessary to the dwelling house owned by the member or by the spouse or jointly by the member and the spouse:

Provided that the withdrawal shall be admissible only after a period of five years from the date of completion of the dwelling house.

(8) A further withrawal equivalent to the amount of difference between the amount of withdrawal admissible to a member under sub-rule (2) above as on the date of fresh application and the amount of withdrawal that was drawn by a member under this rule any time during 6 years preceding 3-10-1981, may be granted to such a member—

(i) who had availed of the earlier advance for purchase of a dwelling site and has now proposed to construct a dwelling house on the land so purchased; or

(ii) who had availed of the earlier advance for making initial payment towards the allotment/ purchase of a house/flat from any agency as referred to in clause (a) of sub-rule (1) above

and has now proposed to avail of withdrawal for completing the transaction to get the sale ownership of the house/flat so purchased; or

(iii) who had availed of the earlier advance for construction of a house but could not complete the construction in time due to lack of funds.

(9) A further withdrawal up to twelve months basic wages and dearness allowance or member's own share of contribution with interest thereon in his account whichever is less may be granted for additions, alterations, improvement or repair of the dwelling house owned by the member or by the spouse or jointly by the member and the spouse, after ten years of withdrawal, under sub-rule (7)

(10) The member shall produce the title deed and such other documents as may be required for inspection which shall be returned to the member after the grant of withdrawal.

(11) If the withdrawal granted under this rule exceeds the amount actually spent for the purpose for which it was sanctioned, the excess amount shall be refunded by the member to the Fund in lump sum within thirty days of the finalisation of the purchase, or the completion of the construction of, or necessary additions, alterations, or improvements to a dwelling house, as the case may be. The amounts so refunded shall be credited to the employer's share of contributions in the member's account in the Fund, to the extent of withdrawal granted out of the said share and the balance, if any shall be credited to the member's share of contributions in his account.

(12) In the event of the member not having been allotted a dwelling site/dwelling house/flat, or in the event of the cancellation of an allotment made to the member and of the refund of the amount by the agency referred to in clause (a) of sub-rule (1), or in the event of the member not being able to acquire the dwelling site or to purchase the dwelling house/flat from any individual or to construct the dwelling house, the member shall be liable to refund to the Fund in lump sum. The amount so refunded shall credited to the employer's share of contributions in the member's account in the Fund, to the extent of withdrawal granted out of the said share, and the balance, if any, shall be credited to the member's own share of contribution in his account.

(13) If the competent authority, or where so authorised by the competent authority, any officer subordinate to him is satisfied that the withdrawal granted under this rule has been utilised for a purpose other than that for which it was granted or that the member refused to accept an allotment or to acquire a dwelling site or that the conditions of withdrawal have not been fulfilled or that there is reasonable apprehension that they will not be fulfilled wholly or partly ; or that the excess amount will not be refunded in terms of sub-rule (ii) or that the amount remitted back to the member by any agency, referred to in clause (a) of sub-rule (1), will not be refunded in terms of sub-rule (ii) or that the amount remitted back to the member by any agency, referred to in clause (a) of sub-rule (1) will not be refunded in terms of clause sub-rule (12), the competent authority or where so authorised by the competent authority, any officer subordinate to him, shall forthwith take steps to recover the amount due with penal interest thereon at the rate of two per cent per annum from the wages of the member in such number of instalment as the competent authority, or where so authorised by the competent authority any officer subordinate to him, may determine. For the purpose of such recovery, the competent authority or where so authorised by the competent authority, any officer subordinate to him may direct to deduct such instalment from the wages of the member and on receipt of such direction, the amount shall be deducted accordingly. The amount so deducted, shall be remitted to the competent authority, or where so authorised by the competent authority, any officer subordinate to him, within such time and in such manner as may be specified in the direction. The amount so refunded, excluding the penal interest, shall be credited to the employer's share of contributions in the member's account in the Fund to the extent of withdrawal granted out of the said share and the balance, if any, shall be credited to the member's own share of contributions in his account. The amount of penal interest shall, however, be credited to the revenue account :

Provided that the recovery of withdrawal under sub-rule (13) shall be restricted to cases where the recovery has been ordered by the sanctioning authority while the member is in service.

(14) Where any withdrawal granted under this rule has been misused by the member, no further withdrawal shall be granted to him under this rule within a period of three years from the date of grant of the said withdrawal or till the full recovery of the amounts of the said withdrawal, with penal interest thereon, whichever is later.

Withdrawal from fund for repayment of loans in special cases

25. (1) The competent authority, or where so authorised by the competent authority, any officer, subordinate to him, may on an application from a member, sanction from the amount standing, to the credit of the member in the Fund, withdrawal for the repayment, wholly or partly, of any outstanding principal and interest of a loan obtained from a State Government, Co-operative Society, Housing Board, Municipal Corporation or bank or a body similar to the Delhi Development Authority solely for the purposes specified in sub-rule (1) of rule 25. The amount of withdrawal shall not exceed the member's basic pay or basic wages and dearness allowance for thirty-six months or his own share of contributions together with the employees share of contributions, with interest thereon, in the member's account in the Fund or the amount of outstanding principal and interest of the said loan, whichever is less.

(2) No withdrawal shall be sanctioned under this rule unless–

(a) the member has completed ten year's membership of the Fund; and

(b) the member's own share of contributions, with interest there on in the amount standing to his credit in the Fund, is one thousand rupees or more; and

(c) the member produces a certificate or such other documents, as may be required by the competent authority, or where so authorised by the competent authority, any officer subordinate to him, from such agency, indicating the particulars of the members, the loan granted, the outstanding principal and interest of the loan and such other particular as may be required.

(3) The payment of the withdrawal under this rule shall be made direct to such agency on receipt of an authorisation from the member as required by the competent authority, or where so authorised by the competent authority, any officer subordinate to him, and in no event the payment shall be made to the member.

Advance from fund for illness in certain cases

26. (1) A member may be allowed non-refundable advance from his account in the Fund in cases of–

(a) hospitalisation lasting for one month or more; or

(b) major surgical operation in a hospital, or

(c) suffering from T.B., leprosy, paralysis, cancer, mental derangement or heart ailment and having been granted leave by his employer for treatment of the said illness.

(2) The advance shall be granted if–

(a) the employer certified that the Employee's State Insurance Scheme facility and benefits thereunder are not actually available to the member or the member produces a certificate from the Employee's State Insurance Corporation to the effect that he has ceased to be eligible for cash benefits under the Employee's State Insurance Scheme; and

(b) a doctor of the Government hospital certifies that a surgical operation or, as the case may be hospitalisation for one month or more had or has become necessary, or in the case of mental derangement or heart ailment, a specialist certifies that the member is suffering from T.B., leprosy, paralysis, cancer, mental derangement or heart ailment.

(3) A member may be allowed non-refundable advance from his account for the treatment of a member of his family who has been hospitalised or requires hospitalisation, for one month or more–

(a) for a major surgical operation; or

(b) for the treatment or T.B., leprosy, paralysis, cancer, mental derangement or heart ailment:

Provided that no such advance shall be granted to a member unless he has produced–

(i) a certificate from a doctor of the Government hospital that the patient has been hospitalised or requires hospitalisation for one month or more, or that a major surgical operation had or has become necessary; and

(ii) a certificate from his employer that the Employee's State Insurance Scheme facility and benefits are not available to him for the treatment of the patient.

(4) The amount advanced under this rule shall not exceed the member's basic wages or basic wages and dearness allowance for six months or his own share of contribution with interest in the Fund, whichever is less.

(5) Where the competent authority or, where so authorised by the competent authority, any officer subordinate to him is not satisfied with a medical certificate furnished by the member under this rule, he may, before granting an advance under this rule, demand from the member another medical certificate to his satisfaction.

Advance from fund for marriage or post matriculation education of children

27. (1) The competent authority or where so authorised by the competent authority an officer subordinate to him may, on an application from a member, authorise payment to him or her of a non-refundable advance from his or her provident fund account not exceeding fifty percent of his or her own share of contribution, with interest thereon, standing to his or her credit in the Fund, on the date of such authorisation, for his or her own marriage, the marriage of his or her daughter, son, sister or brother or for the post matriculation education of his or her son or daughter.

(2) No advance under this rule shall be sanctioned to a member unless–

(a) he has completed seven years membership of the Fund; and

(b) the amount of his own share of contributions with interest thereon standing to his credit in the Fund is one thousand rupees or more.

(3) Not more than three advances shall be admissible to a member under this rule.

Grant of advances in abnormal conditions

28. (1) The competent authority or where so authorised by the competent authority, any officer subordinate to him may, on an application from a member whose property, movable or immovable, hs been damaged by a calamity of exceptional nature, such as floods, earthquakes or riots, authorise payment to him from the provident fund account, of a non-refundable advance, of five thousand rupees of fifty percent of his own total contributions including interest thereon standing to his credit on the date of such authorisation, whichever is less, to meet any unforeseen expenditure.

(2) No advance under sub-rule (1) shall be paid unless–

(i) the State Government has declared that the calamity has affected the general public in the area;

(ii) the member produces a certificate from an appropriate authority to the effect that his property movable or immovable has been damaged as a result of the calamity; and

(iii) the application for advance is made within a period of four months from the date of declaration referred to in clause (i).

Grant of advance to members who are physically handicapped

29. (1) a member, who is physically handicapped, may be allowed a non-refundable advance from his account in the Fund, for purchasing an equipment required to minimise the hardship on account of handicap.

(2) No advance under sub-rule (1) shall be paid unless the member produces a medical certificate from a medical officer to the satisfaction of the competent authority or such other officer as may be authorised by him in this behalf to the effect that he is physically handicapped.

(3) The amount advanced under this rule shall not exceed the member's basic pay or wages and dearness allowance for six months or his own share of contributions with interest thereon or the cost of the equipment, whichever is less.

(4) No second advance under this rule shall be allowed within a period of three years from the date of payment of an advance allowed under this rule.

Withdrawal within one year before retirement

30. The competent authority, or where so authorised by the competent authority, any officer subordinate to him, may on an application from a member in form E permit withdrawal of up to 90% of the amount standing at his credit, at any time after attainment of the age of 54 years by the member or within one year before his actual retirement or superannuation whichever is later.

Refundable advance in certain cases

31. A member may be allowed refundable advance recoverable in 24 instalments, by the competent authority or where so authorised any officer subordinate to him in following circumstances :–

(a) To pay expenses in connection with funerals or ceremonies which by religion of the member is incumbent upon him to perform :

Provided that the amount so advanced shall not exceed the member's basic pay plus dearness allowance or basic wages for six months in case of funerals or the ceremonies, or the member's share of contributions with interest thereon, whichever is less;

(b) To meet the cost of legal proceedings instituted by the employee for vindicating his position in regard to any allegations made against him in respect of any act done or purported to be done by him in the discharge of his official duties or to meet the cost of his defence when he is prosecuted by the employer in any court of law in rspect of any official miscounduct on his part :

Provided that the advance under this clause shall not be admissible to an employee who institutes legal proceedings in any court of law either in respect of any matter unconnected with his official duty or against employer in respect of any conditions of service or penalty imposed on him :

Provided further, that the sum so advanced shall not exceed the member's basic pay and dearness allowance or basic wages for six months or his own share of contributions and interest thereon, whichever is less;

(c) The second advance under this rule shall not normally be permitted until the amount of first advance has been fully re-paid and atleast one year has elapsed thereafter. However, competent authority may waive this in deserving cases after reasons to be recorded in writing.

Recovery of advances in Certain cases

32. (1) Any amount advanced to a member in excess of the amount permitted under any of these rules or the amount advanced if not utilised for the purpose for which it had been advanced, shall be deposited back to the Fund by the member as soon as possible and in such manner as the competent authority may prescribe.

(2) If the member fails to deposit back, the said sum the same shall be recoverable from his salary, wages, pay, dearness allowance, bonus and any others dues, etc. payable by Haryana Urban Development Authority in such manner as the competent authority may decide.

Interest on advance

33. (1) In case of non-recoverable advance taken by a member, such advances shall be debited to the member's own contribution and employer's contribution account and the total money to his credit shall be reduced by such advance and no interest shall be payable by the member on such non-refundable advance taken.

(2) A member shall pay interest on all refundable advances at the same rate as applicable in the precending financial year.

(3) The interest shall be calculated at simple rate of interest for the whole of the month on the amount outstanding against a member on the last day of the month.

(4) The total interest on the advance taken, worked out as per sub-rule (3), shall be recovered immediately, after their recovery of the advance is completed. The recovery of interest shall be made in monthly instalments.

Circumstances which accumulation in fund are payable to member

34. Full accumulations standing to the credit of a member including employee's contribution in the Fund may be withdrawn by the member or his nominee or legal heirs, as the case may be in the following circumstances :–

(i) on retirement from service after attaining the age of superannuation and a member who has not attained the age of superannuation, at the time of termination/resignation of his services, shall also be entitled to withdraw the full amount standing to his credit in the fund;

(ii) on retirement on account of permanent and total incapability for work due to bodily or mental infirmity duly certified by the Medical Officer of Government Hospital;

(iii) on termination of services in the case of mass or individual retrenchment;

(iv) on winding up of Haryana Urban Development Authority, to such employees who are not retrenched and are transferred by Haryana Urban Development Authority to such other establishments which

are not covered by any provident fund scheme recognised under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), and/or Employee's Provident Fund and miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952); or

(v) on a member being transferred from Haryana Urban Development Authority to an establishment which is not covered by any provident fund scheme recognised under the Income tax, Act 1961 (43 of 1961), and/or the Employee's Provident Funds and miscellaneous provisions Act, 1952 (19 of 1952).

Payment of accumulation of a deceased member to whom payable

35. On the death of a member, before the amount standing to his credit shall become payable as under :—

(a) If the nomination made by the member in accordance with these rules subsists, the amount standing to his credit in the Fund or a part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in accordance with such nomination; or

(b) if no nomination subsists or if the nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall become payable to the members of his Family in equal shares :

Provided that no share shall be payable to :—

(i) sons who have attained majority ;

(ii) sons of a deceased son who have attained majority;

(iii) married daughter whose husbands are alive ; and

(iv) married daughters of a deceased son whose husbands are alive; and

Provided that if there is any member of the family other than those specified in clauses (i), (ii), (iii) & (iv) above :

Provided further that the widow or widows and the child or children of a deceased son shall receive in equal parts only the share which that son would have received if he had survived and had not attained the age of majority at the time of the member's death;

(c) in any case, to which the provisions of clause (a) and clause (b) do not apply, the whole amount shall be payable to the person legally entitled to it.

Explanation :— For the purpose of the rule a member's posthumous child if born alive, shall be treated in the same way as a surving child born before the member's death.

Deductions from accounts of a member dismissed for serious or willful misconduct

36. (1) Notwithstanding any thing contained in these Rule if a member is dismissed by Haryana Urban Development Authority for serious or willful misconduct, the competent authority shall have the power after giving due opportunity to the member to explain his case, to forfeit Haryana Urban Development Authority's contribution uto to maximum of the contibution in the pevious two financial years an that of the current financial year, while taking any decision the member's reply shall be taken into account.

(2) Any amount so forfeited from the individual account of the member under sub-rule (1), shall not be returned to Haryana Urban Development Authority, but shall be credited to the forfeiture account of the fund.

Certificate of balance due to a member

37. The amount payable to any member or to the nominees or representatives of any deceased member under any of the provisions of these rules, shall be sufficiently ascertained and determined in accordance with these rules by a certificate under the hands, of the competent authority or where so authorised by the competent authority any officer subordinate to him and such certificate shall be final and binding on all the parties :

Provided that the competent authority on representation by a member, the representative of the deceased member, can redetermine their decision in respect of a mainfest error. The certificate of the balance due to each member shall be issued yearly in the month of July for the proceeding year.

Payment of provident fund

38. (1) When the amount standing to the credit of a member, or the balance thereof after any deductions under these rules becomes payable, it shall be the duty of the competent authority to make prompt payment as provided in these rules to the member or his nominees, as the case may be.

(2) In case there is no nominee in accordance with these rules, the competent authority may, if satisfied, after enquiry about the title of the claimants, pay such amount to the claimants and the receipts given by such claiments for the amount paid shall be treated as sufficient discharge of the liabilities by the competent authority.

(3) If any portion of the amount, which has become payable, is in dispute or doubt, the competent authority shall make prompt payment of that portion of the amount in regard to which there is no dispute or doubt, the balance being settled as soon as may be possible.

(4) If the person to whom any amount is to be paid under these rules is a minor for whose estate a guardian under the guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), has been appointed, the payment shall be made to such guardian. Where no guardian under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), has been appointed, the payment shall be made to the guardian, if any, appointed under sub-rule (5) of Rule 18. Where no guardian under the guardian Ward Act, 1890 (8 of 1890), or under sub-rule (5) of rule 18 has been appointed, the payment shall be made to the natural guardian; or to the person authorised by law to receive the payment on behalf of the minor and the receipt of such person shall be sufficient dischares thereof.

(5) If the person to whom any amount is to be paid under these rules is a lunatic for whose estate a manager under the Indian Lunacy Act, 1912 (4 of 1912), has been appointed, the payment shall be made to such Manager. If no such manager has been appointed the payment shall be made to the natural guardian of the lunatic or to the person authorised by law to receive the payment on behalf of the lunatic, and the receipt of such person shall be sufficient discharge thereof.

(6) If it is brought to the notice of the competent authority that a posthumous child is to be born to the deceased member and the sufficient required nomination has not been given by the member, then the completent authority shall retain the amount which might be due to the child in the event of its being born alive for being paid to the person authorised to receive the amount on behalf of the child, and distribute the balance. If subsequently no child is born or the child is born alive, the amount retained shall be distributed in accordance with the relevant provision of these rules.

(7) Any person who desires to claim payment under these rules, shall send a written application to the competent authority in form F and the competent authority may at the option of the person to whom payment is to be made, make the payment.

(i) by crossed cheques sent through post; or

(ii) by deposits in the payee's postal saving or Bank account, if any.

(8) Any amount becoming due to a member as a result of—

(i) Supplementary contribution from Haryana Urban Development Authority in respect of leave, wages /arrears of pay, instalments of arrears contribution received in respect of a member whose claim has been settled on account, but which could not be remitted for want of his latest address ; or

(ii) accumulation in respect of any member who has either ceased to be employed or dies, but no claim has been preferred within a period of three years from the date it becomes payable, or if any amount remitted to a person is received back undelivered, and it is not claimed again within a period of 3 years from the date it becomes payable, shall be transferred to an account to be called the "Unclaimed Deposits Account":

Provided that in case of a claim for the payment of the said balance is received subsequently, the amount shall be paid by debiting the "Unclaimed Deposits Accounts":

Provided that in case of a claim for the payment of the said balance, the amount shall be paid by debiting the "Unclaimed Deposits Accounts".

On transfer of membership to other provident fund

39. Where any member leaves his employment with Haryana Urban Development Authority and obtain re-employment in or transferred to any other organisation or Government department, the entire amount standing to the credit of the member's account in the Fund may be transferred to the credit of his account in the provident fund, if any,

maintained by such organisation or Government Department, if such provident fund is recognised under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) and/or Employees provident Fund and miscellaneous provisions Act, 1952 (19 of 1952) :

Provided that the person concerned shall make an application for such a transfer through the management of the new provident fund :

Provided further that on such a transfer, the rules of this provident fund shall cease to apply to such a person and his transferred amount, both of which shall subsequently be governed entirely by the rules of the new provident fund to which the member's account is transferred.

Protection against attachment

40. (1) The amount standing to the credit of any member in the Fund shall not in any way be capable of being assigned or charged and shall not be liable to attachment under any degree or order of any Court in respect of any debt or liability incurred by the member and neither the official assignee appointed under the Presidency-towns Insolvency Act, 1909 (3 of 1909), nor any receiver appointed under the Provincial Insolvency Act, 1920 (5 of 1920), shall be entitled to, or have any claim on, any such amount.

(2) Any amount standing to the credit of a member in the Fund at the time of his death and payable to his nominee under these rules shall, subject to any deduction vest in the nominee and shall be free from any debt or other liability incurred by the deceased or the nominee before the death of the member.

Amount withdrawn but not paid

41. In case of default by a member of repayment of instalments due to the Fund or where the amount withdrawn is not utilised for the purpose for which it was withdrawn or the withdrawn amount is finally withheld and has not been utilised for the purpose for which it was withdrawn, the competent authority may at its sole discretion order that the amount of the withdrwan, or the amount withdrawn, or the amount outstanding shall be added to the total income of the member for the year in which default occurs and the Income-tax officer shall be informed accordingly.

FORM "A"

[*See* Rule 5 (1)]

APPLICATION FOR THE ALLOTMENT OF EMPLOYEES PROVIDENT FUND ACCOUNT NUMBER TO HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY EMPLOYEES UNDER HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY EMPLOYEES PROVIDENT FUND RULES 2001.

1.	Name	:
2.	Designation	:
3.	Father's Name	:
4.	Basic Pay	:
5.	Office to which at present attached	:
6.	Name of Appointing Authority with appointment letter	:
7.	Date of joining of service	:
8.	Whether the official has living family or not ?	:
9.	Whether the nomination duly filled in by the official and authenticated by the Head of office has been attached in triplicate with the application	:
10.	In whose favour the nomination has been made and with what proportion	:

Dated: *Signature of applicant.*

Place:

Certified that the above information has been verified and found correct.

Signature of Head of office with seal.

FORM "B"

[(*See* Rule 5 (2)]

APPLICATION FOR TRANSFER OF EMPLOYEES PROVIDENT FUND ACCOUNT TO HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY EMPLOYEES UNDER HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY EMPLOYEES PROVIDENT FUND RULES 2001.

Note : — To be submitted by the member for ownards transmission to the Chief Administrator, Haryana Urban Development Authority by whom the transfer is to be effected.

To To

The Chief Administrator,
Haryana Urban Development Authority,
Panchkula.

M/s .....
.....
.....

(To be filled in, if Note is applicable)

Sir,

I request that my Provident Fund balance may please be transferred to my present account under intimation to me.

Necessary particulars are furnished below:

1. Name :
2. Father's/husband's name in case of married woman. :
3. Name and address of previous employer. :
4. Employees Provident Fund account number with previous employer. :
5. By whom the Provident Fund account of the previous establishment is kept. :
6. Employees Provident Fund account number with the previous employer (if allotted a separate one) :
7. Date of leaving service with previous employer. :
8. Date of joining the present employer. :

Signature/left hand thumb impression of the member.

TO BE FILLED IN BY THE PRESENT EMPLOYEER

1. Name and address of the establishment. :
2. Employees Provident Fund Code and Account No. allotted to the member :
3. Employees Provident Fund account no. allotted to the member separately, if any :
4. By whom the Employees Provident Fund account of member in the present establishment is kept Being an unexempted establishment :

   Being an exempted establishment
5. By whom the Employees Provident Fund account of the member in present establishment is kept :
6. In whose favour transfer is to be effected, *i.e.* payee's details :

Signature of Employer/Authorised Official with Office Seal

(FOR THE OFFICE USE ONLY)

A sum of Rs..... (Rupees .....) is authorised for transfer.

By Demand Draft to the Chief Administrator, Haryana Urban Development Authority.

By Demand Draft to the Provident Fund of the establishment with reference to details in Serial No. 6 above.

By transfer entries to the Member's Ledger Card bearing Number ..... in the present establishment from the Ledger Card bearing Number ..... of the previous establishment.

Policy Insurance No. *Accounts Assistant* *Accountant* *Accounts Officer*

Chief Controller of Finance

SC Roll No.

Paid by Cheque No..... Dated .....

Accounts Assistant *Accountant* *Accounts Officer*

Chief Controller of Finance

FORM "C"

[*See*-Rule 18-(1)]

NOMINATION AND DECLARATION FORM UNDER HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY EMPLOYEES PROVIDENT FUND RULES, 2001.

1. Name (In Block Letters) : _____
2. Father/Husband's Name : _____
3. Date of Birth : _____
4. Sex : _____
5. Marital Status : _____
6. Account No. : _____
7. Address : _____

Permanent : _____

_____

Temporary : _____

_____

I hereby cancel the nomination made by me previously and nominate the person (s), mentioned below to receive the amount standing to my credit in the Employee's Provident Fund in the event of my death.

Name of the Nominee /Nominees	Address	Nominee's relationship with the member	Date of Birth	Total amount of share of accumulations in Provident Fund to be paid to each nominee	If the Nominee is a minor name and relationship and address of the guardian who may receive the amount during the minority of nominee
1	2	3	4	5	6

1. * Certified that I have no family as defined in Rule 2 (f) of the Haryana Urban development Authority Employees Provident fund Rules, 2001 and should I acquire a family hereafter the above nomination should be deemed as cancelled.

2. Certified that my father / mother is / are dependent upon me.

Signature or Thumb Impression
of the subscriber

FORM "D"

[Sub-Rule 19-(1)]

APPLICATION FOR FINANCING A LIFE INSURANCE POLICY OUT OF THE PROVIDENT FUNDS ACCOUNT TO HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY EMPLOYEES UNDER HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY EMPLOYEES PROVIDENT FUND RULES, 2001.

To

The Chief Administrator,
Haryana Urban Development Authority,
Panchkula.

1. I..... Son of/Daughter/Wife of.....
(Name in block capital)
an employee of.....
(Name of the establishment)
authorise the Chief Administrator to :

(i) Withdraw a sum of Rs..... (Rupees.....) from my Provident Fund Account No..... and remit the same to the Life Insurance Corporation of India towards the initial premium in respect of my Life Insurance Policy/proposal for Life Insurance details of which are given herein;

(ii) make periodical withdrawal of Rs..... (Rupees.....) from my Provident Fund Account No..... each time the premium falls due for payment and remit the same to the Life Insurance Corporation of India towards the premium in respect of my Life Insurance Policy, details of which are given herein so as to reach the said Corporation within the time allowed for such payments;

(iii) to convert the said insurance policy into a paid-up one when the credit in my provident fund relating to my own contribution becomes inadequate for the payment of any premium, unless the payment of further premium is arranged by me with the Life Insurance Corporation of India and inform the Chief Administrator, Haryana Urban Development Authority accordingly;

(iv) to pay late fees and/or interest from on my own contribution in my Provident Fund Account. If any premium cannot be remitted to the said corporation in time

2. I accept that :

(i) the authorisation at Paragraph 1 (ii) above shall be effective only when my life insurance policy duly assigned has been received by the Chief Administrator after proper registration of the assignment in the books of the said corporation ;

(ii) the said authorisation shall thereafter remain operative till such time as I continue to be a member of the Fund and have enough accumulations to my credit as my own share in the fund or till the maturity of the policy, whichever is earlier;

(iii) the terms of the policy shall not be altered nor shall be policy be exchanged for another policy without the prior written consent of the Chief Administrator, Haryana Urban Development Authority.

3. The policy enclosed for inspection will be forwarded when received/has already been assigned and accepted by the Chief Administrator, Haryana Urban Development Authority vide his letter No..... dated the.....

4. I am aware that the policy is to be assigned as security within six months of the date of the first remittance by the fund to the said corporation and sent to the Chief Administrator , Haryana Urban Development Authority after registration of the assignment in the books of the said corporation.

5. I declare that—

(a) I have been a member of the Fund for the period of not less than two years which is the minimum period for being eligible for financing insurance policy from the Fund.

(b) The amount standing to my credit in my Employees' Provident Fund Account (my own share) is Rs..... as on ..... which is sufficient for making payment to Life Insurance Corporation for two years.

(c) My annual contribution to the fund is Rs..... which is sufficient to pay my yearly premium.

(d) I propose to nominate the same person as for the Provident Fund.

6. I also declare that the policy is free from any 'encumbrances' and the details of the policy/proposal given herein are correct to the best of my knowledge.

7. Details of the *policy/proposal :—

(i) Address of the branch office or unit of the Life Insurance Corporation where the policy account* is to be maintained.

(ii) Policy/Proposal No. and date.

(iii) Sum assured/Proposal to be assured.

(iv) Probable date of purchase of the policy.

(v) Whether the proposal has been accepted and if so, by what date the first premium is to be paid.

(vi) Cost of the policy (in the case of single payment of policy).

(vii) Amount* yearly premium

(viii) Due date (s) for payment of premium.

(ix) Date of payment of last premium.

(x) Whether age has been admitted. If not, state the nature of proof presented.

(xi) Name (s) of nominee (s) under section 39 of the Insurance Act,1938 (4 of 1938).

(xii) Guardian appointed under section 39 of the Insurance Act,1938 (4 of 1938) in respect of minor nominees, if any.

(xiii) Details of any previous policy already assigned to the Haryana Urban Development Authority or "Certified that I have not withdrawn any amount previously for financing out to my provident fund accounts."

(xiv) Remarks.

Dated :

****Signature or Left/Right hand thumb impression of the member.*

Certified that this form has been *signed/thumb-impressed before me by .....
(Name of member)

Account No..... employed .....
(Name of establishment)

****Signature of the employer or his authorised official.*

Designation .....

Date.....

Code No. of the Establishment .....

Name and address of the establishment and its stamp

FOR USE IN HEAD OFFICE

(Accounts Section)

Please furnish the following information in respect of the subscriber :—

1	2	3	4
Average of yearly contribution (employee's share only) on the basis of recent 12 months	Total contribution (Employee's share only) as on	Whether any other Life Insurance Policy advance has been granted before. If so, mention the date of withdrawal.	Whether the subscriber has contributed for two years.

The above case has been examined under the Provision of Haryana Urban Development Authority Employees Provident Fund Rules-2001. A sum of Rs. .....
(Rupees.....)

may be paid.

Accounts Assistant *Accountant* *Accounts Officer* *Chief Controller of Finance*

FORM E

[*See Rule* 24(1) *and* (30)]

APPLICATION FOR ADVANCE FROM THE FUND TO HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY EMPLOYEES UNDER HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY EMPLOYEES PROVIDENT FUND RULES, 2001

Purpose for which advacne is required.....

Amount of advance required
Rs.....
(in Words)

1. Name in full (in block letters) :
2. Father's/Husband's Name :
3. Name of the Establishment in which employed and address
4. Provident Fund Account No. :
5. Monthly basic wages and dearness allowance : ..... Basic + dearness allowance = Total
6. Full Postal address of the member : .....
.....
.....
Pin .....
7. Mode of Remittance

(a) In case of advance for purpose of Site/House/Flat or Construction through an "agency" Repayment of housing loan, indicate (i) in whose favour the cheque is to be drawn and

(ii) Full Address .....

In other cases put a tick against any one of the following :—

(b) By account Payee Cheque through the employer to the address given against Serial No. .....

(c) By deposit in Bank Account No. .....
(Name of the Bank) .....
(Full Postal Address)

Located at .....

(d) By Money Order at my cost (To the address given at Serial No.6)

I declare that the advance is required to meet the expenses in connection with my marriage/Marriage of my Son/ Daughter/ Brother/ Sister.

Sh./Kumari.....Aged ..... to be celebrated on .....at .....
(Date) Address

I declare that the above particulars are true to the best of my knowledge and I will abide by the conditions governing the grant of advance under the Scheme Certificate/documents in support of my Application is/are furnished/ enclosed.

.....

Signature or Left/Right hand thumb impression of the member.

Delete if the Advance applied is not for marriage.

ADVANCE STAMPED RECEIPT

(To be furnished with reference to 7 (a) or (b) or (c) above only)

Received a sum of Rs. ..... (Rupees.....) from Chief Administrator, Haryana Urban Development Authority, Panchkula.

Affix 1 Rupee
Revenue stamp

* To be filled in by
Head Office Haryana Urban
Development Authority.

Signature or Left/Right hand thumb impression of the member

FORM F

[*See* Rule 38 (7)]

Form to be used by a major member of the Haryana Urban Development Authority Employees' Provident Fund Rules-2001, for claiming the Employees' Provident Fund dues.

1.	Name of the member (in block letters)	:	
2.	Father's Name (or husband's Name in the Case of married woman)	:	
3.	Name and Address of the establishment in which the member was last employed	:	
4.	Account No.	:	
5.	Date of leaving service	:	
6.	Reason of leaving service	:	
7.	Full postal address (in block letters)	:	Shri/Shrimati/Kumari S/o W/o D/o..... .... Pin No. .....
8.	Mode of Remittance		Put a 'Tick' in the Box against the one opted.
	(a) By postal money order at my cost		To the Address given against item No.7
	(b) By account payee cheque sent direct for credit to my Saving Bank Account No.		Saving Bank Account No.
	(c) By Demand Draft at my cost direct for credit to my Saving Bank Account Scheduled Bank/Post Office under intimation to me.		Full address of the Branch

Advance stamped receipt furnished below.

Certified that Particulars are true to the best of my knowledge.

Date of Joining the establishment Date of leaving service.....

Form 3A for the current year sent/enclosed

The applicant has signed/thumb impressed before me

Signature of the employer or authorised official

Signature or Left/Right hand thumb impression of the member

Date

Designation and Seal

(Declaration of Non-employment)

I declare that I have not been employed in any factory/Estt. to which the Act. applies for a continuous period of not less than 2 months immediately preceding the date of my application final withdrawal of my Provident Fund money.

Date

Signature or Left/Right hand thumb impression of the member

ADVANCE STAMPED RECEIPT

(To be furnished only in case of 8 (b) above)

Received a sum of Rs. ..... (Rupees ..... only) from Office of Chief Administrator, Haryana Urban Development Authority, Panchkula by deposit in my Saving Bank Account towards the settlement of my Provident Fund Account.

Affix 1 Rupee
Revenue stamp

* To be filled in by
Head Office Haryana Urban
Development Authority.

Signature or Left/Right hand thumb impression of the member

BHASKAR CHATTERJEE,

Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department

HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY

The 22nd October, 2001

No. 28830.— In pursuance of the provisions of clause (c) of Section 54 read with Sub-section(2) of Section 11 of the Haryana Urban Development Authority Act, 1977 (13 of 1977) and with the previous approval of the State Government, the Haryana Urban Development Authority hereby makes the following regulations regulating the grant of pension to its officers and employees , namely :—

Short title and application

1. (1) These regulations may be called the Haryana Urban Development Authority Employees Pension Regulations,2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to all the employees of Haryana Urban Development Authority established and constituted under the Haryana Urban Development Authority Act, 1977 (13 of 1977), who join the service on or after coming into force of these regulations and other employees already in service who opt for these regulations. The later category of employees shall have to exercise an option in form 'A' appended to these regulations within three months from the date of coming into force of these regulations.

(4) The employees who do not opt for these regulations, shall be governed by the provisions contained in Haryana Urban Development Authority Employees' Provident Fund Rules, 2001.

Definitions

2. In these regulations, unless the context otherwise requires,

(a) "competent authority" means the authority competent to sanction pension to the employees of Haryana Urban Development Authority. The competent authority for the purpose of these regulations shall be the Chief Administrator of Haryana Urban Development Authority;

(b) "employees" means the regular employees of Haryana Urban Development Authority;

(c) "pension" means the pension as defined in the Punjab Civil Services Rules, Volume II, as applicable to the State of Haryana.

Establishment of fund.

3. (1) For the purpose of payment of pension the fund i.e. the Haryana Urban Development Authority employees pension fund (hereinafter called the "pension fund") shall be established. This shall comprise the total accumulated amount of contributory provident fund on behalf of the employer alongwith interest as on the date of publication of this notification in the Official Gazette alongwith employer's contributions to be made by the Haryana Urban Development Authority on monthly basis as per provisions contained in the Haryana Urban Development Authority Employees Provident Fund Rules, 2001.

(2) The pension fund shall be kept in the bank at Head Quarter of Haryana Urban Development Authority. The rate of interest allowed shall be the maximum rate of interest fixed by the bank on the total accumulations and the interest so earned shall also be an integral part of pension fund.

Operation of fund

4. The pension fund shall be administered by the competent authority.

Maintenance of accounts

5. The accounts of pension fund shall be maintained at Head Quarter of Haryana Urban Development Authority. The bank through which pension is disbursed shall also be required to keep accounts as per instructions issued from time to time.

Grant of pension

6. For the purpose of grant of pension to the employees of Haryana Urban Development Authority, the rules regulating to the grant of pension as contained in the Punjab Civil Services Rules, Volume II, as applicable to the State of

Haryana, shall apply *mutatis mutandis* to the employees and for this purpose the terms and expressions not otherwise defined in these regulations shall have the same meaning as assigned to them in the Punjab Civil Services Rules, Volume I, Part I, as applicable to the State of Haryana. For this purpose for the words "Government" and "Government Employees" wherever occurring in these rules *ibid*, the words "Haryana Urban Development Authority" and "employees of Haryana Urban Development Authority" shall be deemed to have been substituted, respectively, and for the words "Accountant General Haryana" wherever occurring in the aforesaid rules, the words "Chief Controller of Finance, Haryana Urban Development Authority" shall be deemed to have been substituted. The instructions issued by the Haryana Government in this behalf from time to time shall also apply for this purpose.

Pension Payment Order

7. After completion of pension papers of the employees in the form and manner as provided in the Punjab Civil Services Rules, Volume II, as applicable to the State of Haryana, (with necessary amendments), the same shall be sent to the Chief Controller of Finance, Haryana Urban Development Authority for verification of qualifying service and emoluments. On the basis of which Pension Payment Order will be issued by the Chief Controller of Finance, Haryana Urban Development Authority with the concurrence of competent authority. He shall also issue a copy of Pension Payment Order to the bank authorising the bank to make payment of pension to the pensioner every month regularly till revised orders or instructions are issued by the competent authority.

Applications of treasury rules

8. While making payment of pension, the Pension Payment Authority shall be guided by rules 4.92 to 4.106 of the subsidiary treasury rules under the Punjab Treasury Rules which shall apply *mutatis mutandis* to the pensioner of the Haryana Urban Development Authority.

FORM A

[*See* regulation 1 (3)]

HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY

1. I, _____ hereby opt for the Haryana Urban Development Authority Employees' Pension Regulations, 2001. The option is conclusive, final and irrevocable.

2. I undertake to pay back the refundable / non - refundable advance taken out of employer's contribution to Contributory Provident Fund, if any, alongwith interest in lump sum or in such instalments as may be fixed by the Authority.

Signature of the employee.

Name of the employee _____.

Designation _____.

Office _____,

_____.

Contributory Provident
Fund Account No. _____.

DHEER PAL SINGH,

Chairman,
Haryana Urban Development Authority.

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 22nd October, 2001

No. 28830.–In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with clause (m) of Sub-section (2) of Section 53 and Section on 28 of the Haryana Urban Development Authority Act, 1977 (13 of 1977) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the constitution and payment of General Provident Fund to the employees of the Haryana Urban Development Authority, namely :–

Short Title, Commencement and Applicatioin

1. (1) These rules may be called the Haryana Urban Development Authority General Provident Fund Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) The employees, who opt for these rules, in form A appended to these rules, shall be governed by these rules.

Definitions

2. In these rules, unless the context otherwise requires,–

(1) "Competent Authority" means the authority competent to sanction General Provident Fund to the employees of Haryana Urban Development Authority. The Competent Authority for the purpose of these rules shall be the Chief Administrator of Haryana Urban Development Authority;

(2) "Employees" means the regular empoyees of Haryana Urban Development Authority;

(3) "General Provident Fund" means the General Provident Fund as defined in the Punjab Civil Services Rules, Volume II, as applicable to Haryana State.

Establishment of Fund Section 53 (1) (2) (m) and 28

3. (1) For the payment of General Provident Fund the fund, namely, the Haryana Urban Development Authority Employees General Provident (hereinafter caled the "General Provident Fund"), shall be established. This shall comprise the total accumulated amount in Contributory Provident Fund on behalf of the employee along with interest as on the date of notification and also further employee's monthly deduction to be made by Haryana Urban Development Authority from the salary of employees as per provision contained in the Punjab Civil Services Rules, Volume II, as applicable to Haryana State.

(2) The General Provident Fund shall be kept in the Bank at Head Quarter of Haryana Urban Development Authority. The rate of interest allowed shall be the maximum rate of interest fixed by the Bank and the interest so earned shall also be an integral part of the General Provident Fund.

Operation of Fund Section 53 (1) (2) (m) and 28

4. (1) The General Provident Fund shall be administered by the competent authority.

(2) All payments to be made to the employees of Haryana Urban Development Authority on account of General Provident Fund shall be withdrawn from the General Provident Fund.

Maintenance of Accounts Section 53 (1) (2) (m) and 28

5. The Accounts of General Provident fund shall be maintained at Head Quarter of Haryana Urban Development Authority. The Bank through which General Provident Fund is disbursed shall be also be required to keep accounts as per instructions issuede from time to time.

Grant of General Provident Fund Section 53 (1) (2) (m) and 28

6. (1) For the purpose of grant of General Provident Fund to the employees of Haryana Urban Development Authority, the rules regulating the General Provident Fund as contained in the Punjab Civil Services Rules Volume II, as applicable to Haryana State, shall apply *mutatis mutandis* to the employees and for this purpose the terms and expressions not otherwise defined in these rules, shall have the same

meaning as respectively assigned to them in the Punjab Civil Services Rules Volume II, as applicable to Haryana State. For this purpose for the words "Government" and "Government Employees" wherever occurring in these rules *ibid,* the words "Haryana Urban Development Authority" and "employees of Haryana Urban Development Authority" shall be deemed to have been substituted respectively and for the words "Accountant General Haryana" wherever occurring in the aforesaid rules, the words "Chief Controller of Finance Haryana Urban Development Authority" shall be deemed to have been substituted. The instructions issued by the Haryana Government in this behalf from time to time shall also apply for this purpose.

(2) On coming into force of the Haryana Urban Development Authority Pension Regulations, 2001 the employees who opt for pension scheme will be allotted General Provident Fund account number by the Haryana Urban Development Authority. The subscription portion of the employees in Contributory Provident Fund alongwith interest occured thereon shall be credited to General Provident Fund account of the employees and shall be governed by the General Provident Fund Rules and further instructions issued by the Haryana Government from time to time.

(3) Subject to the provisions of these rules, the rules contined to Chapter XIII of the Punjab Civil Services Rules Volume II, as applicable to Haryana State shall apply *mutatis mutandis* to the employees of Haryana Urban Development Authority who opt for these rules.

FORM A

[*See* rule 1 (3)]

HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY

1. I, _____, hereby opt for the Haryana Urban Development Authority General Provident Fund Rules, 2001. The option is conclusive, final and irrevocable.

Signature of the employee.

Name of the employee _____.

Designation _____.

Office _____,

_____.

Contributory Provident
Fund Account No. _____.

BHASKAR CHATTERJEE,

Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department,

33335—C.S.—H.G.P., Chd.